[2018] 12 एस. सी. आर 282

सतलुज जल विद्युत नैगम

वी.

एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। &

ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 9871)

24 सितंबर, 2018

[अरुण मिश्रा और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण-मुआवजे का दावा चाहे -

प्रत्यर्थी-जागीरदार या उनके कानूनी प्रतिनिधि उन्मूलन अधिनियम, 1953 के आधार पर जागीरों के उन्मूलन का दावा कर सकते थे।

भूमि अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति, विशेष रूप से जब भूमि राज्य में निहित थी, भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, और जब उन्हें उन्मूलन अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त हुआ था, और इसके अलावा उन्हें अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत मुआवजा-आयोजितः

यह निर्णायक रूप से स्थापित किया गया था कि विचाराधीन भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत मुआवजा भी प्राप्त किया गया था, भले ही भूमि पहले से ही उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित थी-एक बार जब विवादित भूमि को अधिकतम सीमा अधिनियम में अधिशेष घोषित कर दिया गया था, तो एल. ए. अधिनियम के तहत बाद में शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था-तत्काल मामले में, पहले की कार्यवाही थी जो यह स्पष्ट करती है कि प्रतिवादी एल. ए. अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं था-प्रतिवादी या उसके एल. आर. के पास कोई निर्वाह अधिकार, स्वामित्व या ब्याज नहीं बचा था, इस प्रकार, उन्हें मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। 18 और 30-हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदाओं का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1953 - धारा 27-एच. पी. भूमि धारण सीमा अधिनियम, 1972 - एस. 11.

न्याय प्रशासन-कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतिवादी को एक ही भूमि के संबंध में तीन बार मुआवजा मिला-सबसे पहले, राज्य में पूरी भूमि के निहित होने के कारण उसे मुआवजे के रूप में Rs.28,019 की राशि मिली थी।

सरकार और मुआवजे का निर्धारण उन्मूलन अधिनियम के तहत किया गया था-दूसरी बार Rs.57,388/- का मुआवजा प्राप्त किया गया था।

282 सतलुज जल विद्युत निगम बनाम. एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)।

अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के तहत वर्ष 1980-81 में-तीसरी बार, प्रत्यर्थी को एल. ए. अधिनियम के तहत मुआवजा मिला-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने एक गंभीर धोखाधड़ी की थी-आयोजितः एल. ए. अधिनियम के तहत निकाली गई राशि पूरी तरह से थी।

अस्वीकार्य और कानूनी प्रणाली के साथ धोखाधड़ी करने के समान-वास्तव में, उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही में भूमि के लिए मुआवजा लिया गया था-भले ही कुछ भूमि के संबंध में मुआवजा देय या भुगतान नहीं किया गया था, निहित होना उसी पर निर्भर नहीं होगा-जागीरदारों की व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि राज्य में निहित थी, जैसे कि यह उसी भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी खुला नहीं था।

अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधान जो प्राप्त हुए हैं या जिसके तहत एल. ए. अधिनियम के प्रावधान-यह पूरी तरह से अस्वीकार्य और अवैध था और धोखेबाज़ द्वारा किए गए घोटाले के समान था-प्रतिवादी को भूमि के तहत निकाले गए मुआवजे को वापस करने का निर्देश दिया गया

अपीलार्थी को अधिग्रहण-राज्य-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस. 18 और 30-हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदाओं का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1953 - धारा 27-एच. पी. भूमि धारण अधिनियम, 1972 की अधिकतम सीमा। 11 .

शब्द और वाक्यांश-"धोखाधड़ी"-आयोजितः धोखाधड़ी हर गंभीर कार्यवाही को दूषित करती है और धोखाधड़ी करने वाले द्वारा किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। तकनीकी का आधार।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. व्यक्तिगत खेती के तहत जो क्षेत्र प्रतिवादी के पक्ष में बचाया गया था, वह केवल 64 बीघा 12 बिस्वास था जैसा कि निर्दिष्ट किया गया था। यह 1011 बीघा 6 बिस्वास मापने वाले आदेश खाता नंबर 1 किटा से स्पष्ट है जो गांव झाकरी में हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वामित्व में निहित है। जाखड़ी में भूमि का भूमि राजस्व उस समय की जमाबंदी से स्पष्ट है जब हिमाचल प्रदेश बड़ी भूमि संपदाओं और भूमि सुधार अधिनियम, 1953 लागू हुआ था। 155.58 यह Rs.125 से अधिक थी क्योंकि जो भूमि बंजर कादिम थी या अन्यथा व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, वह राज्य में निहित थी। उन्मूलन अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण प्रावधानों के तहत किया गया था

धारा 27 (1) और क्षतिपूर्ति अधिकारी द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया गया था। हालांकि मुआवजे का भुगतान एक शर्त नहीं थी भूमि के हस्तांतरण के लिए उदाहरण यह स्वचालित था, प्रतिवादी [2018] 12 एस. सी. आर. था।

के क्रम में उल्लिखित भूमि के लिए भी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया

क्षतिपूर्ति अधिकारी। भले ही कुछ भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, क्योंकि वह व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, फिर भी राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त हो गई थी। [पैरा 44,45] [303-डी-एच; 304-ए]

जादब सिंह और अन्य। वी. हिमाचल प्रदेश

प्रशासन और अन्य। ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1008-निर्दिष्ट

को।

2. तथ्य निर्णायक रूप से स्थापित है कि विचाराधीन भूमि को एच. पी. के तहत अधिशेष और मुआवजे के रूप में घोषित किया गया था।

सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 भी प्राप्त किया गया था, भले ही भूमि पहले से ही राज्य में निहित थी

उन्मूलन अधिनियम। एक बार जब विवादित भूमि को अधिकतम सीमा अधिनियम में अधिशेष घोषित कर दिया गया था, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत वर्ष 1987 में बाद में शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिनिधि या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था। 1989 में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर यह निर्देश देना उचित था कि निर्धारित मुआवजे का भुगतान अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रभाव के कारण नहीं किया जाना चाहिए और यह सवाल संदर्भ न्यायालय में भी उठाया गया था, संदर्भ न्यायालय पर उपरोक्त पहलुओं में जाना अनिवार्य था। अतः एक बार

भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है। यह भूमि अधिग्रहण मामले में इसे फिर से प्राप्त करने के लिए खुला नहीं था। [पैरा 54] [309-डी-जी]

3. भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1987 में भूमि अधिग्रहण के लिए शुरू की गई थी, जबकि अधिकतम सीमा का आदेश 1980 और 1985 में पारित किया गया था और बाद में 1993 में अधिशेष क्षेत्र को बढ़ाया गया था। कानून के किसी भी सिद्धांत के किसी भी विस्तार से, प्रतिवादी या उसके उत्तराधिकारी वर्ष 1987 में एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में मुआवजे का दावा नहीं कर सकते थे। प्रतिवादी और उसका परिवार उक्त के लिए एल. ए. अधिनियम के तहत किसी भी मौद्रिक मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं था। भूमि। एल. ए. अधिनियम के तहत निकाली गई राशि पूरी तरह से अस्वीकार्य थी और धोखाधड़ी करने के समान थी।

कानूनी प्रणाली। वास्तव में, उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही में भूमि के लिए मुआवजा लिया गया है। भले ही कुछ भूमि के संबंध में मुआवजा देय या भुगतान नहीं किया गया था, निहित करना उसी पर निर्भर नहीं करेगा।

निजी सतलुज जल विद्युत निगम बनाम के अंतर्गत न आने वाली भूमि। एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)।

जागीरदारों की खेती राज्य में निहित थी, क्योंकि यह अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत या एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसी भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी खुला नहीं था। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य और अवैध था और धोखेबाजों द्वारा किए गए घोटाले के समान था। असंगत याचिकाओं को उठाकर और राजस्व पत्रों में प्रविष्टियों को गलत तरीके से जारी रखने का अनुचित और अनुचित लाभ उठाकर कानूनी प्रणाली में धोखाधड़ी को कायम रखने के लिए एक के बाद एक मामले वापस लिए गए। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी या एल. आर. भूमि के मामले में निकाले गए मुआवजे को वापस कर देंगे।

अपीलार्थी/राज्य को अधिग्रहण। [पैरा 59 और 78] [312-ई-जी; 313-ए; 326-एफ-जी]

शारदा देवी बनाम। बिहार राज्य (2002) 3 एससीसी 705: [2002] 2 एससीआर 404; मेहर रूसी दलाल बनाम। भारत संघ (2004) 7 एससीसी 362: [2004] 1 पूरक। एस. सी. आर. 956; अहद ब्रदर्स बनाम। एम. पी. राज्य (2005) 1 एस. सी. सी. 545: [2004] 6 पूरक। एससीआर 191; उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बनाम। ग्यान

देवी (1995) 2 एससीसी 326: [1994] 4 पूरक। एससीआर 646; शारदा देवी बनाम। बिहार राज्य (2003) 3 एस. सी. सी. 128; रामचंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी (2003) 8 एस. सी. सी. 319: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 543; मधुर सदभा शिवरकर

वी. महाराष्ट्र राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 557; जय नारायण परशुरामपुरिया बनाम। पुष्पा देवी सराफ (2006) 7 एस. सी. सी. 756 [2006] 5 पूरक। एससीआर 325; ए. पी. बनाम राज्य टी. सूर्यचंद्र राव, (2005) 6 एससीसी 149: 2005] 1 पूरक। एससीआर 809; ए. वी. पापय्या शास्त्री बनाम सरकार. एपी. (2007) 4 एससीसी 221: [2007] 3 एससीआर 603; एस. पी.

(1998) 3 एससीसी 573: [1998] 1 एससीआर 601; उज्जागर सिंह बनाम। कलेक्टर, भटिंडा (1996) 5 एस. सी. सी. 14; [1996] 4 पूरक। एससीआर 239; एच. पी. बनाम राज्य हरनामा (2004) 13

एस. सी. सी. 534; मदन किशोर बनाम। मेजर सुधीर सेवाल

(2008) 8 एससीसी 744: [2008] 12 एससीआर 1154-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1008

[2002] 2 एससीआर 404

संदर्भित किया गया है

[2004] 1 पूरक। एससीआर 956

पै

रा 60

संदर्भित किया गया है

[2004] 6 पूरक। एससीआर 191

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

[1994] 4 पूरक। एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

(2003) 3 एससीसी 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 62

[2003] 4 पूरक। एससीआर 543

पै

रा 67

संदर्भित किया गया है

(2015) 6 एस. सी. सी. 557

संदर्भित किया गया है

पै

रा 68

[2006] 5 पूरक। एससीआर 325

पै

रा 69

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 पूरक। एससीआर 809

संदर्भित किया गया है

पै

रा 70

[2007] 3 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पै

रा 71

[1993] 3 पूरक। एससीआर 422

पै

रा 72

संदर्भित किया गया है

[1998] 1 एससीआर 601

संदर्भित किया गया है

पै

रा 73

[1996] 4 पूरक। एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पै

रा 74

(2004) 13 एस. सी. सी. 534

संदर्भित किया गया है

पै

रा 75

[2008] 12 एससीआर 1154

संदर्भित किया गया है

पै

रा76

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 9871

2018 का

उच्च न्यायालय के 25.02.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 की नियमित पहली अपील संख्या 243 में शिमला में हिमाचल प्रदेश का न्यायालय

के साथ

सिविल अपील सं। 9872-9873 , 9874 , 9875 , 9876 , 9877 , 9878 , 9879 ,

9880 2018 से।

तुषार मेहता, एएसजी, अभिनव मुखर्जी, एएजी, गुरु कृष्ण कुमार,

विनय कुथियाला, जतिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रमाकांत शर्मा, बी. के. सतीजा, के. के. उपाध्याय, शौर्य कुठियाला, यश पाल ढींगरा, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री उर्निमा कृष्णा, सिद्धार्थ गर्ग, सुमित राज शर्मा, दिनेश कुमार गर्ग, अभिषेक गर्ग, धनंजय गर्ग, दीपक मिश्रा, नरेश के. शर्मा, हिमिंदर लाल, डॉ. आशुतोष गर्ग, सुश्री प्रोमिला, वाई. पी. ढींगरा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सतलुज जल विद्युत निगम बनाम. एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अरुण मिश्रा, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. सवाल यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश द्वारा बड़ी भू-संपदाओं के उन्मूलन के कारण जागीरों के उन्मूलन के बाद और भूमि सुधार अधिनियम, 1953 (इसके बाद 'उन्मूलन अधिनियम' के रूप में संदर्भित), स्वर्गीय जागीरदार या उनके कानूनी प्रतिनिधि दावा कर सकते थे

भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा विशेष रूप से तब दिया जा रहा है जब भूमि हिमाचल प्रदेश राज्य में निहित है, भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, और विशेष रूप से जब उन्हें भूमि अधिग्रहण का भुगतान प्राप्त हो गया हो।

उन्मूलन अधिनियम के तहत मुआवजा, इसके अलावा भी प्राप्त हुआ था

एच. पी. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (इसके बाद "सीलिंग एक्ट" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत मुआवजा।

3. तथ्यों से पता चलता है कि कैसे एक वादी ने एक के बाद एक कई मुकदमे दायर किए हैं और ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है कि ऐसा होने की संभावना थी

खारिज किए जाने पर, वह इसे वापस ले लेगा; फिर से, इसे नए आधारों पर दायर करेगा, या इसे खोने के बाद, अपीलीय स्तर पर इसे फिर से वापस ले लेगा, और इस बीच, विभिन्न कार्यवाही में धोखाधड़ी करके, सरकारी खजाने की कीमत पर मुआवजा प्राप्त करके अन्यायपूर्ण संवर्धन प्राप्त करेगा।

4. तत्काल मामले के तथ्यों से पता चलता है कि पूर्व शासक स्वर्गीय महाराजा पदम सिंह के पुत्र स्वर्गीय राजिंदर सिंह राज्य के जागीरदार थे। भूमि, और इस प्रकार पूर्ववर्ती मोहसू जिले की तहसील रामपुर, उप-तहसील नानखारी और तहसील रोहरू में हजारों बीघा भूमि के मालिक के रूप में दर्ज किया गया था जो वर्तमान में शिमला जिले का एक हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले की तहसील निचर है।

5. गाँव 'झाकड़ी' में 393 खसरा संख्या की भूमि 1011 बीघा, 6 बिस्वास को राज्य में निहित घोषित किया गया था।

उन्मूलन अधिनियम की धारा 27 और मध्यस्थ राजिंदर सिंह

14.11.1962 के आदेश के अनुसार केवल 64.12 बीघा भूमि रखने की अनुमति दी गई थी जो उनकी व्यक्तिगत खेती के तहत थी। हिमाचल प्रदेश में एक एकड़ में 5 बीघा जमीन है। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 19.9.1964 के आदेश के अनुसार, निहित करने के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि उन्हें खतौनी में 13 बीघा 12 बिस्वास भूमि दी गई। 14 खसरा संख्याओं में से नंबर 1, यानी 14,122,125,142,143,165,212,238,241,288,423,494,511 और

512। उपरोक्त सर्वेक्षण की कुछ संख्याएँ अपरिमित थीं। हालाँकि, तथ्य यह है कि कुल क्षेत्र जो व्यक्तिगत खेती के तहत पाया गया था, वह 13 बीघा, 12 बिस्वास था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. स्वर्गीय जागीरदार राजिंदर सिंह ने डब्ल्यू. पी. दाखिल करके दिनांकित 14.11.1962 निहित करने के आदेश पर हमला किया। [C] नहीं। 15/1962। न्यायपालिका से पहले

संबंधित समय पर रिट याचिकाओं की सुनवाई करने वाले आयुक्त ने कहा कि जो भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, वह तब तक राज्य में निहित नहीं होगी जब तक कि मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है।

7. निहित करने के आदेश के अनुसार, उन्मूलन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी अर्थात क्षतिपूर्ति अधिकारी, महासू, दिनांकित आदेश के माध्यम से

12.4.1966 Rs.28,019.45 के मुआवजे का निर्धारण किया। चूँकि जमींदार को पहले ही उन किरायेदारों से 1,703.25 की अधिक राशि प्राप्त हो चुकी थी जिन्होंने उन्मूलन अधिनियम की धारा 11 के तहत स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इसे राशि से काट लिया गया था और देय राशि Rs.26,316.20 पाई गई थी और यह वास्तव में 6.5.1966 पर भुगतान किया गया था।

8. क्षतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांकित 12.4.1966 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, जिला न्यायाधीश, महासू के समक्ष अपील दायर की गई थी। अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और रुपये की कटौती का निर्देश दिया गया था। 1703.25 इसे अलग कर दिया गया था और संपूर्ण Rs.28,019.45 के भुगतान का आदेश उपरोक्त कटौती के बिना दिया गया था।

9. न्यायिक आयुक्त के दिनांक 14.11.1962 के निर्णय के विरुद्ध, मामला सी. ए. सं. में इस न्यायालय में गया। 1186-1191 / 1966. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 27 के तहत स्वामित्व का भूमि राजस्व प्रति वर्ष Rs.125 से अधिक होने की स्थिति में मालिक का अधिकार, स्वामित्व और हित राज्य सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त होगा और निहित करना स्वतः और बिना किसी बाधा के होगा। किसी अन्य घटना के घटित होने पर निर्भर। क्षतिपूर्ति और पुनर्वास अनुदान निर्धारित किया जा सकता है और बाद में भुगतान किया जा सकता है। इस न्यायालय ने दिनांकित 17.9.1969 आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" यह स्पष्ट है कि धारा 27 भूमि से संबंधित है जिसका वार्षिक भूमि राजस्व प्रति वर्ष Rs.125 से अधिक है। यह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अधिकार। ऐसी भूमि में स्वामी का स्वामित्व और हित राज्य में निहित भूमि का हस्तांतरण माना जाएगा।

सरकार सभी बाधाओं से मुक्त है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि अधिनियम के प्रवर्तन पर निहित किया जाता है।

ऊपर ने एक ही दृष्टिकोण लिया और यह देखने में सही था कि जहाँ भी विधायिका ऐसे अटल जल विद्युत निगम को सौंपने की तारीख को स्थगित करने का इरादा रखती है।

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 11 और 15 में इस आशय के स्पष्ट प्रावधान किए गए थे और

इसके कारण स्पष्ट थे। 8. 11 में किरायेदार को व्यायाम करना पड़ता था। अधिकार प्राप्त करने का विकल्प। भूमि मालिक का स्वामित्व और हित।

ऐसे अधिकारों का निहित होना-आवश्यक होगा-समय पर निर्भर करता है। इस तरह के विकल्प का अभ्यास। इसी तरह 8.15 में। भविष्य की तारीख थी

इसके विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाना। हम नहीं मानते कि धारा 27 की उप धारा 53 (3) और (4) के प्रावधानों में कोई

यह संकेत देता है कि सरकार में स्वामित्व के अधिकारों का निहित होना

वेस्टिंग उप-एस के तहत होती है। (1) तुरंत उस पर अधिनियम का प्रवर्तन। इसके बाद, उप-एस के तहत। (3) क्षतिपूर्ति

प्रावधानों के अनुसार भूमि मालिक को भुगतान किया जाना है

उसमें उल्लेख किया गया है। उप 8 (4) के तहत राज्य सरकार स्वामित्व के अधिकारों को एक किरायेदार को हस्तांतरित करना जो खेती करता है

केवल मुआवजे के भुगतान पर भूमि। यह रोक नहीं सकता या

उप के तहत होने वाले वेस्टिंग पर कोई असर है

एस (1)। पुनर्वास अनुदान का भुगतान जो इसके द्वारा प्रदान किया जाता है एक छोटे से जमींदार के लिए उप 8 (5) पक्ष में तर्क को मजबूत करता है

उप एस (1) के तहत स्वचालित और तत्काल होने का निहित होना। वहाँ

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भूमि के संबंध में जो गिरती है

धारा 27 (1) के दायरे में हस्तांतरण और अधिकारों को निहित करना

सरकार में स्वामित्व तुरंत होता है

अधिनियम का प्रवर्तन और उसके बाद क्षतिपूर्ति और

पुनर्वास अनुदान देय हैं। इन सभी कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है और

विद्वान न्यायिक आयुक्त को अलग कर दिया जाता है। ये हैं मामले उन प्रश्नों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया जो

तय नहीं किया गया था। पूरी परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ होगा

लागत के बारे में कोई आदेश न दें।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने मामले को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया

जिन प्रश्नों पर निर्णय नहीं लिया गया था। विशेष रूप से, प्रश्न

जागीरदार की उस भूमि के रूप में नल खेती को केवल निहित होने से बचाया गया था।

10. इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का सामना करते हुए कि भूमि

एच राज्य में स्वचालित रूप से निहित व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं है

रिमांड के बाद उच्च न्यायालय को मामले का फैसला करने की आवश्यकता थी

इस न्यायालय की उक्त टिप्पणियों में से, राजिंदर सिंह ने [2018] 12 एस. सी. आर. के लिए प्रार्थना की।

सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ डब्ल्यू. पी. No.15/1962 को वापस लेना। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। इस प्रकार, व्यक्तिगत खेती के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 17.9.1969 दिनांकित आदेश में इस न्यायालय के आदेश को रिट याचिका को वापस लेने से बचा लिया गया था।

11. स्वर्गीय राजिंदर सिंह ने तब दीवानी मुकदमा No.15/1970 दायर किया जिसमें उन्होंने एक झटका लिया और शीर्षक की घोषणा के लिए प्रार्थना की और एक याचिका दायर करने की मांग की।

यह घोषणा करते हुए कि वाद संपत्ति उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (5) के तहत 'भूमि' नहीं थी और इस तरह यह हिमाचल प्रदेश राज्य में निहित नहीं थी। व्यक्तिगत खेती का मामला उनके द्वारा छोड़ दिया गया था। निचली अदालत ने मुद्दों को तैयार किया; क्या वादी के पास विवादित भूमि का कब्जा था और क्या विवादित भूमि, पूरी या आंशिक रूप से, राज्य सरकार में निहित थी? यह मुद्दा भी तैयार किया गया था कि क्या विवादग्रस्त भूमि उन्मूलन अधिनियम में 'भूमि' की परिभाषा के अंतर्गत आती है। 12.4.1966 दिनांकित निर्णय का क्या प्रभाव पड़ता है? इस मुद्दे को क्षतिपूर्ति अधिकारी के दिनांक 12.4.1966 के निर्णय की अंतिमता के संबंध में भी तैयार किया गया था, और क्या आदेश को अंतिमता प्राप्त होने के कारण मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी। निचली अदालत ने इस पहलू के संबंध में भी मुद्दा तैयार किया कि क्या वादी को विवादग्रस्त क्षेत्र के हिस्से का मुआवजा मिला था और इस तरह वह मुकदमा दायर करने से बच गया था।

12. उच्च न्यायालय में दायर मुकदमा 15/1970 को 26.6.1973 पर खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वाद भूमि उन्मूलन अधिनियम में परिभाषित 'भूमि' शब्द के दायरे में थी और वादी उक्त भूमि की व्यक्तिगत खेती में नहीं था। इसलिए, जिस तारीख को उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था, उस तारीख को अधिनियम की धारा 27 के तहत पूरी भूमि राज्य सरकार के पास निहित थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी उक्त भूमि का स्वामी नहीं था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए हैं:

" 25. इस मामले के इस दृष्टिकोण में मेरा मानना है कि विवादित भूमि निश्चित रूप से भूमि है जैसा कि उन्मूलन अधिनियम में परिभाषित किया गया है और वादी ऐसी भूमि की व्यक्तिगत खेती में नहीं है, इसलिए इसका पूरा हिस्सा अधिनियम की धारा 27 के तहत राज्य सरकार में निहित है। द. इस प्रकार वादी के खिलाफ दो मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है।

41. संबंधित मुद्दों के लिए ऊपर दिए गए मेरे निर्णय को देखते हुए, घोषणा की राहत नहीं दी जा सकती है। सतलुज जल विद्युत एन. आई. जी. ए. एम. बनाम पर धारा 27 के तहत विवादित भूमि स्वत: ही राज्य सरकार में निहित हो गई है।

एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

26 जनवरी 1955, जब उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ। इस प्रकार वादी ऐसी भूमि का स्वामी नहीं है। चूँकि वादी ने ऐसी भूमि के लिए अपनी "व्यक्तिगत खेती" साबित नहीं की है, इसलिए उसे धारा 27 की उप-धारा (2) के तहत निहित करने से छूट नहीं है। इस कारण से प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों को गलत या अवैध नहीं माना जा सकता है। वादी किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने 1970 के सी. एस. सं. 15 में भी निर्गम संख्या 11 और 12 का निर्णय लिया और अभिनिर्धारित किया कि इस मुकदमे को स्पष्ट रूप से रोक कर रोक दिया गया था और

रेज़ जुडिकाटा द्वारा भी। केवल घोषणा के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के तहत वर्जित था।

13. राजिंदर सिंह ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की

एकल न्यायाधीश के 26.6.1973 दिनांकित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय। पहली अपील को अंततः उनके वकील द्वारा यह बयान देकर वापस ले लिया गया कि विवादित भूमि का अधिग्रहण एच. पी. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट की धारा 8 के प्रावधानों के तहत किया गया था और मुआवजे का भुगतान अपीलार्थी को कर दिया गया था। बाद की घटना को देखते हुए, मुकदमे को वापस लेने और अपील करने की प्रार्थना की गई क्योंकि यह निष्फल हो गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 23.6.1986 पर अनुमति दी

अपीलार्थी द्वारा वाद की विषय वस्तु के संबंध में कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने के लिए, यदि इस तरह के बाद के वाद दायर करने की कोई आवश्यकता थी, और अपील को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने इस तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और उसे अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत विवादित भूमि का मुआवजा मिला है। जिस वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति और स्वीकारोक्ति से उन्होंने तत्काल मामले में गलत तरीके से बाहर निकलने की कोशिश की है। 14. 1970 के मुकदमे सी. एस. No.15 को वापस लेने का उद्देश्य अदालत को धोखा देना था क्योंकि निचली अदालत ने माना है कि मुकदमे की भूमि व्यक्तिगत रूप से खेती नहीं की गई थी, यह स्वचालित रूप से राज्य सरकार में निहित थी और यह उन्मूलन अधिनियम में परिभाषित 'भूमि' थी और वादी को मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया था। विचाराधीनता के दौरान

उपरोक्त मामले में भूमि राज्य में निहित होने के बावजूद, उन्मूलन अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत दूसरी बार मुआवजा प्राप्त किया गया था, हालांकि मुआवजे का भुगतान पहले भी उन्हें किया गया था जैसा कि 1966 में मुआवजा अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. अधिकतम सीमा अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था और इसमें अधिकतम सीमा से संबंधित कानूनों को समेकित करने और संशोधित करने का प्रावधान किया गया था।

भूमि स्वामित्व। 1972 के अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान किया गया था कि अधिशेष भूमि राज्य में निहित होगी, और यह माना जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सभी बाधाओं से मुक्त अधिग्रहण किया गया था।

एक निश्चित राशि के भुगतान पर।

16. 10.6.1980 पर कलेक्टर (सीलिंग) यानी उप-मंडल अधिकारी ने 10,027.5 बीघा भूमि को अधिशेष घोषित किया। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। राजिंदर सिंह द्वारा। क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई और भुगतान भी किया गया। द.

विभाग द्वारा संदर्भ दिया गया था कि अतिरिक्त भूमि थी अधिशेष घोषित करने की आवश्यकता है। आई. डी. 1 पर, वित्तीय आयुक्त (अपील) ने संदर्भों का निर्णय लिया और अधिशेष के रूप में भूमि की उपरोक्त घोषणा में हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि निर्णायक रूप से कहा कि अधिशेष घोषित करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। 10, 027.5 बीघा भूमि को अधिशेष घोषित करना, दिनांक 10.6.1980 के आदेश के अनुसार, पर्याप्त नहीं था। तदनुसार मामले को स्थगित कर दिया गया। सीमित रिमांड आदेश भी

अंतिमता प्राप्त की। अंततः कलेक्टर, रामपुर बुशहर, जिला द्वारा आदेश पारित किया गया। शिमला, 10.11.1993 पर। यह देखा गया कि Rs.57,888.80 का मुआवजा उस भूमि के लिए प्राप्त किया गया था जिसके पास था

पहले से ही अधिशेष यानी 10027.5 बीघा घोषित किया जा चुका है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दिनांक 1 के आदेश में, भूमि मालिक और उसके नाबालिग बेटे को अनुमेय क्षेत्र की दो इकाइयों की अनुमति दी गई थी, इसलिए, नाबालिग बेटे को दिए गए एक इकाई के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि राजिंदर सिंह का परिवार केवल एक इकाई का हकदार था और तदनुसार अंतिम मसौदा विवरण प्रकाशित किया गया था।

17. विचाराधीन क्षेत्र ने भी 1980 में अधिशेष घोषित किया है और राज्य द्वारा अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 11 के तहत अधिग्रहित किया गया है। अधिग्रहण 1987 में शुरू किया गया था और जहां तक राजिंदर सिंह का संबंध है, 10 बीघा भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले आदेश को अंतिम रूप दिया गया था क्योंकि उस पर उनके द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था।

18. अतिरिक्त लगभग 9000 बीघा भूमि को अधिशेष घोषित करने वाले 10.11.1993 के आदेश के खिलाफ, अपील दायर की गई थी, जिसे 30.8.1996 पर आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त अपीलीय आदेश के खिलाफ संशोधन वित्तीय आयुक्त के समक्ष दायर किया गया था और इसे 18.1.2002 पर खारिज कर दिया गया था। 1.8.2013 पर आयुक्त ने उत्परिवर्तन आदेश को बरकरार रखते हुए एक आदेश पारित किया जिसके खिलाफ संशोधन किया गया था

वित्तीय आयुक्त के समक्ष दायर किया गया था।

अंततः समीक्षा सतलुज जल विद्युत निगम बनाम। एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

याचिका को भी विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने सवाल उठाया था।

19. वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में, जिसमें से अपील उत्पन्न होती है, धारा 4 के तहत अधिसूचना 9.1.1987 पर एच. पी. राज्य विद्युत बोर्ड के लिए झाकरी में एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए जारी की गई थी। बिजली बोर्ड ने बाद में

नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन (एन. जे. पी. सी.) और बाद में अपीलार्थी सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने Rs.20,000 प्रति बीघा की दर से मुआवजे की दर निर्धारित करने के लिए 24.2.1989 पर एक पुरस्कार पारित किया। हालाँकि, पुरस्कार में यह देखा गया कि राजिंदर सिंह के स्वामित्व को लेकर विवाद था। इसलिए, यह आदेश दिया गया कि अधिकतम सीमा की कार्यवाही के लंबित रहने को देखते हुए मुआवजे का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इसे बैंक में जमा करने के बजाय

अदालत। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'एल. ए. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत एक संदर्भ मांगा गया था। संदर्भ न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से प्रति बीघा 1 लाख रुपये की दर से मुआवजे का निर्धारण किया।

झाकरी पनबिजली परियोजना के लिए कॉलोनी। 11.7.1988 पर धारा 4 के तहत संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी। 27.2.1991 पर पुरस्कार पारित किया गया था भूमि के वर्गीकरण के अनुसार। 4.7.1991 पर, एक पूरक पुरस्कार पारित किया गया था। अदालत को संदर्भ दिए गए थे। द.

संदर्भ न्यायालय ने दिनांक 27.3.1997 के पुरस्कार के माध्यम से प्रति बीघा 1 लाख रुपये का आदेश दिया।

21. संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी गई। यह तर्क दिया गया था कि भूमि

के साथ मिलीभगत में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी

सरकारी अधिकारी। यह भूमि उन्मूलन अधिनियम के तहत सरकार के पास निहित थी। इसे प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं था। एक प्रार्थना

22. अपीलों और आवेदनों को खारिज करने के खिलाफ, 2001 के सी. ए. Nos.3741-52 और 3753-57 को इस न्यायालय में दायर किया गया था। अपीलार्थी। उन्हें 3.5.2001 पर तय किया गया था। उच्च [2018] 12 एस. सी. आर. का निर्णय।

अदालत को दरकिनार कर दिया गया। आदेश 41 नियम XXVII और आदेश 6 नियम XVII के तहत आवेदनों की अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 3.5.2001 के अंतिम आदेश में कहा:

" अपीलों की सुनवाई के दौरान पक्षकारों के विद्वान वकील ने इस बात पर उचित रूप से सहमति व्यक्त की कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए संशोधन याचिका में दिए गए कथनों और अतिरिक्त साक्षय के रूप में दायर किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय को भेजना उचित और उचित होगा। मामले की वास्तविक स्थिति में इस तरह का आदेश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से कही गई सहमत स्थिति को देखते हुए और हमारे विचार में, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हैं जो चुनौती के अधीन है;
अपीलार्थियों द्वारा आदेश 6 नियम XVII सी. पी. सी. के तहत और आदेश 41 नियम XXVII सी. पी. सी. के तहत दायर याचिकाओं को अनुमति दें और बाद में कानून के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दें।

पक्षकारों को सुनने का अवसर देना।

23. मामला उच्च न्यायालय को भेजे जाने के बाद, विवादित फैसले और दिनांक 25.2.2008 के आदेश के माध्यम से अपीलों को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार सतलुज जल विद्युत निगम ने अपीलों को प्राथमिकता दी है।

24. संदर्भ न्यायालय ने 72 भूमि संदर्भ मामलों का फैसला किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थी न तो अधिग्रहण के तहत भूमि के मालिक थे और न ही उनके कब्जे में थे, और विचाराधीन भूमि हिमाचल प्रदेश राज्य में निहित थी। इस पुरस्कार को नियमित रूप से चुनौती दी गई थी

कहा जाता है कि पहली अपील और वही उच्च न्यायालय में लंबित है। 25. एसएलपी [सी] No.9281/2014 से उत्पन्न होने वाली दीवानी अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय दिनांक 18.9.2013 से उत्पन्न होती हैं। लिखें।

सीता देवी और अन्य द्वारा उनमें से एक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की गई थीं। मुआवजे के पुनर्निर्धारण के संबंध में सी. डब्ल्यू. पी. No.2931/2010 होना। उनका निर्णय दिनांक 1 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि राजिंदर सिंह के पास कोई अधिकार नहीं हो सकता है, अपीलार्थियों की स्थिति पहले प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ताओं की मानी गई थी और उस आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और उचित कार्यवाही में उस पर सवाल नहीं उठाया गया था। इस प्रकार, वे धारा 28 ए सतलुज जल विद्युत निगम बनाम के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण के हकदार थे।

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

एल. ए. अधिनियम। सतलुज जल विद्युत निगम ने वर्ष 2014 में फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

26. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी राजिंदर सिंह को इस संबंध में 3 बार मुआवजा मिला है। एक ही भूमि। सबसे पहले, 1966-67 में उन्हें राज्य सरकार को पूरी भूमि सौंपने के कारण मुआवजे के रूप में Rs.28,019 की राशि मिली थी

और क्षतिपूर्ति अधिकारी ने उन्मूलन अधिनियम के तहत इसका निर्धारण किया था। जमीन, किसी भी मामले में, राज्य में निहित थी। वर्ष में दूसरी बार Rs.57,388/- का मुआवजा प्राप्त हुआ था।

1980-81 अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के अधीन। तीसरी बार, प्रतिवादी को Rs.60 लाख की राशि में मुआवजा मिला है। प्रतिवादी ने एक गंभीर धोखाधड़ी की है। यह भी आग्रह किया गया कि राजिंदर सिंह ने डब्ल्यू. पी. No.256/1979 दायर किया है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी ने पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए अनुचित तरीके से काम किया है कि भूमि पहले से ही राज्य में निहित थी और प्रतिवादी द्वारा पसंद किए गए क्रमिक मुकदमों और आर. एफ. ए. संख्या 9/1973 को वापस लेने के संबंध में अन्य टिप्पणियां की हैं।

27. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे आग्रह किया कि सिद्धांत के अनुसार, धोखाधड़ी दूषित करती है, प्रतिवादी किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। उन्हें गलत प्रविष्टि के जारी रहने का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। राजिंदर सिंह के पास कोई अधिकार नहीं बचा था क्योंकि उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि स्वतः ही राज्य में निहित हो गई थी। एल. ए. ओ. ने उस अधिकतम सीमा वाले मामले के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं करने का भी निर्देश दिया था जिसमें स्वर्गीय राजिंदर सिंह को पहले ही मुआवजा मिल चुका है और भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया है। इसमें शामिल प्रश्न एल. ए. अधिनियम की धारा 18 और 30 के तहत स्वामित्व के निर्धारण का नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि शीर्षक समाप्त हो गया है।

धारा 27 और अधिकतम कार्यवाही जिसके साक्षय को इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। यहां तक कि एल. ए. ओ. और संदर्भ अदालत ने आदेश दिया है कि राजिंदर सिंह के पास कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाना था। उच्च न्यायालय द्वारा पिछली कार्यवाही के प्रभाव और राजिंदर सिंह के समग्र आचरण पर विचार किया जाना चाहिए था। उच्च द्वारा किया गया अवलोकन

अदालत ने कहा कि वह कार्यवाही में राजिंदर सिंह के अधिकार के सवाल में नहीं जा सकी, यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह धोखाधड़ी का गंभीर मामला है, अधिकार पहले ही निर्णायक रूप से निर्णय लिया जा चुका है और अन्य मामलों में खो गया है। कार्यवाही। यह वर्तमान कार्यवाही में स्वामित्व के निर्णय का मामला नहीं था। धारा 27 की कार्यवाही और अधिकतम सीमा [2018] 12 एस. सी. आर. का प्रभाव।

29. इसका तर्क एल. आर. की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिया था। स्वर्गीय राजिंदर सिंह ने कहा कि इन कार्यवाहियों में राज्य के पूर्व-विद्यमान अधिकार के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है। विचाराधीन भूमि उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित नहीं थी। भले ही इस न्यायालय द्वारा अभिवचनों के संशोधन और अतिरिक्त साक्षय की अनुमति दी गई हो, संपत्ति पर राज्य के पूर्व-विद्यमान अधिकार को एल. ए. अधिनियम की धारा 18 या 30 के तहत कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता है। यह राज्य सरकार के लिए खुला नहीं था कि वह संदर्भ कार्यवाही में भूमि-मालिकों के स्वामित्व पर सवाल उठाए। राज्य ने संदर्भ आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की थी जिसे 3.6.2004 पर सीमा द्वारा वर्जित बताते हुए खारिज कर दिया गया था। यह भी था तर्क दिया कि भूमि राज्य में निहित नहीं थी क्योंकि यह व्यक्तिगत खेती के तहत थी। उन्मूलन अधिनियम के तहत, ऐसी भूमि निहित की जाती थी जो केवल किरायेदारी के तहत थी। विचाराधीन भूमि उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (5) में परिभाषित 'भूमि' शब्द के दायरे में नहीं थी, जैसे कि राज्य में इसका कोई निहितार्थ नहीं था। हालांकि, राज्य में निहित गांव झाकड़ी में 1011 बीघा और 6 बिस्वास भूमि और परिवर्तन-आदेश 27.2.1962 पर किया गया था। हालांकि, कुछ अन्य भूमि जो व्यक्तिगत खेती के तहत थीं, उन्हें बाहर कर दिया गया था, बाद में, क्षतिपूर्ति अधिकारी ने एक आदेश भी पारित किया जो किरायेदारी भूमि के संबंध में था, न कि व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि या भूमि राजस्व के लिए मूल्यांकन नहीं की गई भूमि के संबंध में। क्षतिपूर्ति अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 12.4.1966 आदेश में उल्लिखित भूमि पर किरायेदारों को अधिकार दिए गए हैं।

सतलुज जल विद्युत निगम बनाम. एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

30. यह भी तर्क दिया गया कि व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि का उल्लेख राजस्व अभिलेखों में 'बंजर कदीम' के रूप में किया गया था जो हो सकता है इसे उन्मूलन अधिनियम के अर्थ में 'भूमि' नहीं कहा जाएगा और न ही यह राज्य सरकार में निहित होगा। गाँव झाकड़ी का क्षेत्र जो राजिंदर सिंह के पास बचा था, 2119 बीघा और 19 बिस्वास था। उक्त भूमि नहीं थी

राज्य में निहित। उन्मूलन अधिनियम की धारा 27 के तहत इस अदालत से मामले की रिमांड के बाद, रिट याचिका वापस ले ली गई और दीवानी मुकदमा No.15/1970 दायर किया गया और इसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपील में भी मुकदमा वापस ले लिया गया था क्योंकि कार्यवाही के पिछले दौर में अधिकारों का कोई निर्णय नहीं हुआ था।

31. उत्तरदाताओं की ओर से आगे विद्वान वकील

तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण के समय न तो भूमि को अंततः अधिशेष घोषित किया गया था और न ही अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कब्जा लिया गया था, क्योंकि यह तब तक राज्य में निहित नहीं था जब तक कि कब्जा नहीं लिया गया था। एल. ए. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत संरक्षित है। मुकदमा वापस लेने की पहली अपील के दौरान राजिंदर सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक की ओर से वकील द्वारा दिया गया बयान गलत था। चूंकि अधिकतम सीमा वाले मामले में कलेक्टर द्वारा अधिशेष भूमि घोषित करने के आदेश को वित्तीय आयुक्त द्वारा रद्द कर दिया गया था। चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह का गलत बयान दिया गया था; शायद यह तथ्यों की अज्ञानता में दिया गया था। इससे पहले 10.6.1980 के आदेश के अनुसार, 10027.5 बीघा भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और 10.11.1993 के आदेश के अनुसार, अतिरिक्त 9679 बीघा कुल 19706.5 बीघा को अधिशेष घोषित किया गया था। अगर मुआवजा भी लिया जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक कब्जा नहीं लिया जाता तब तक भूमि राज्य में निहित नहीं होती थी।

32. विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

(i) क्या भूमि उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित है, और उक्त अधिनियम के तहत मुआवजे की स्वीकृति का प्रभाव?
((ii) अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही का प्रभाव?

(iii) अपील में दीवानी मुकदमा संख्या 15/1970 को वापस लेने का प्रभाव।
((iv) क्या स्वर्गीय राजिंदर सिंह या उनके उत्तराधिकारियों के मुआवजे प्राप्त करने के अधिकार, अधिकार या हित के सवाल पर एल. ए. अधिनियम की धारा 18 और 30 के तहत कार्यवाही में विचार किया जा सकता है? विशेष रूप से, "धोखाधड़ी दूषित करती है" सिद्धांत के आधार पर।

(v) क्या राजिंदर सिंह द्वारा किए गए पट्टा/हस्तांतरण के आधार पर दावा करने वाले उत्तरदाता वास्तविक हस्तांतरणकर्ता हैं।

और मुआवजे का हकदार है?

33. आजादी मिलने के बाद कृषि सुधार लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था जो गणतंत्र दिवस W. E. F. 26.1.1955 पर लागू हुआ। उन्मूलन अधिनियम को बड़ी भू-संपदाओं के उन्मूलन और किरायेदारी से संबंधित कानून में सुधार करने और इसके लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में उससे जुड़े मामले। एस्टेट ',' भूमि-स्वामी 'और' जोत 'को उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (3) में परिभाषित किया गया है और पंजाब में इन शब्दों के क्रमशः अर्थ दिए गए हैं।

भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 हिमाचल प्रदेश में 26.1.1950 से ठीक पहले लागू था।

34. पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1867 की धारा 3 (1), 3 (2) और 3 (3) के तहत 'संपदा', 'भूमि-स्वामी' और 'स्वामित्व' शब्दों को परिभाषित किया गया है।

भूमि राजस्व के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया है, या इस तरह से मूल्यांकन किया गया होगा यदि भूमि-राजस्व जारी नहीं किया गया था, उसके लिए चक्रवृद्धि या मोचन नहीं किया गया था; या (ग) जिसके द्वारा राज्य सरकार सामान्य
नियम या विशेष आदेश, एक संपत्ति घोषित करता है;

(2) " भूमि-स्वामी "में एक किरायेदार या भूमि राजस्व का एक समनुदेशक शामिल नहीं है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति शामिल नहीं है जिसे एक होल्डिंग है

इस अधिनियम के तहत भूमि के बकाया-राजस्व या ऐसी बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि की वसूली के लिए हस्तांतरित किया गया है, या एक संपत्ति या जोत को खेत में पट्टे पर दिया गया है और प्रत्येक अन्य व्यक्ति जिसका उल्लेख इस खंड में पहले नहीं किया गया है, जिसके कब्जे में है

संपत्ति या उसका कोई हिस्सा या हिस्सा, या किसी के आनंद में

किसी संपत्ति के लाभ का हिस्सा;
(3) " धारक का अर्थ है किसी संपत्ति का एक हिस्सा या हिस्सा जो उसके पास है।

भूमि-स्वामी या दो या दो से अधिक भूमि-मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से। सतलुज जल विद्युत निगम बनाम.

एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

35. संपदा का अर्थ है कोई भी क्षेत्र जिसके लिए अधिकारों का एक अलग रिकॉर्ड बनाया गया है; या जिसका भूमि राजस्व के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया है या जिसका इस तरह से मूल्यांकन किया गया है यदि भूमि राजस्व जारी नहीं किया गया था, उसके लिए चक्रवृद्धि या मोचन नहीं किया गया था। 'भूमि-स्वामी' की परिभाषा में एक किरायेदार या भूमि राजस्व का एक समनुदेशक शामिल नहीं है, और स्वामित्व का अर्थ है भूमि मालिक द्वारा या दो या दो से अधिक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संपत्ति का एक हिस्सा या हिस्सा। लोग।

36. पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में परिभाषित 'स्वामित्व' शब्द का अर्थ होगा एक संपत्ति जिसका अर्थ है कोई भी क्षेत्र जिसके लिए

अधिकारों का अलग रिकॉर्ड बनाया गया है या जिसका भूमि राजस्व के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया है, या भूमि राजस्व के लिए इस तरह से मूल्यांकन किया गया होगा यदि इसे जारी नहीं किया गया था, चक्रवृद्धि के लिए या भुनाया नहीं गया था, या राज्य सरकार द्वारा एक संपत्ति घोषित किया गया था। इस प्रकार, 'स्वामित्व' अभिव्यक्ति में किसी संपत्ति का क्षेत्र भी शामिल होगा यदि इसका मूल्यांकन किया गया है या इसका मूल्यांकन किया गया है, लेकिन इसे जारी करने, चक्रवृद्धि करने या भुनाने के लिए किया गया है। भूमि राजस्व। पंजाब अधिनियम की धारा 3 (1) में संपदा की परिभाषा के अनुसार, संपदा का अर्थ है कोई भी क्षेत्र जिसके लिए अधिकारों का अलग रिकॉर्ड बनाया गया है। धारा 27 में प्रयुक्त भूमि-स्वामी अभिव्यक्ति को पंजाब अधिनियम की धारा 3 (2) में परिभाषित किया गया है। इसी तरह, पंजाब अधिनियम में 'संपत्ति' और 'स्वामित्व' की परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं।

37. 'भूमि' को उन्मूलन की धारा 2 (5) में परिभाषित किया गया है।

इस प्रकार कार्य करें -

" (5) " "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिस पर किसी नगर या गाँव में किसी भवन के स्थल के रूप में कब्जा नहीं किया गया है और जिस पर कब्जा किया गया है या जिसे कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि के अधीन उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया गया है।

या चरागाह के लिए, और इसमें शामिल हैं -

((क) ऐसी भूमि पर भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल,
((ख) उद्यान,

(ग) घास्नी ",

38. 'मकान मालिक' को उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (6) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसके तहत एक किरायेदार भूमि रखता है, और जिसे किरायेदार है या लेकिन इसके विपरीत एक अनुबंध के लिए, भूमि के लिए किराया देने के लिए उत्तरदायी होगा। उन्मूलन अधिनियम का

दूसरा अध्याय किरायेदार के अधिभोग के अधिकारों से संबंधित है। किरायेदारों द्वारा स्वामित्व अधिकारों का अधिग्रहण

अध्याय 3 में धारा 9 से 27 तक के बारे में चर्चा की गई है। धारा 9 में [2018] 12 एस. सी. आर. का प्रावधान है।

क्षतिपूर्ति अधिकारी की नियुक्ति के लिए। धारा 11 भूमि मालिक के हितों को प्राप्त करने के किरायेदार के अधिकार से संबंधित है। उप-किरायेदार के अलावा कोई अन्य किरायेदार धारा 11 के तहत भूमि मालिक के अधिकार, स्वामित्व और हित के अधिग्रहण के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 12 भूमि मालिक के अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के अधिग्रहण के लिए एक किरायेदार द्वारा देय मुआवजे की राशि के निर्धारण से संबंधित है। धारा 15 राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिक के अधिकारों के अधिग्रहण से संबंधित है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 15. (1) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन धारा 54 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और खंड (जी) के प्रावधानों के अधीन, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि -

ऐसी तारीख से और ऐसे क्षेत्र के संबंध में जो निर्दिष्ट किया जाए

किसी किरायेदार द्वारा उसके अधीन धारित किसी भी किरायेदारी की भूमि में भूमि मालिक की अधिसूचना, अधिकार, स्वामित्व और हित कायम रहेंगे।

राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाता है और सभी से निःशुल्क निहित किया जाता है

भूमि मालिक द्वारा ऐसी भूमि में बनाए गए बोझ।

(2) उपरोक्त तिथि से प्रभावी -

(क) भूमि स्वामी को ऐसी भूमि के संबंध में कोई किराया या भूमि राजस्व का कोई हिस्सा एकत्र करने या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा और निम्नलिखित के संबंध में भूमि राजस्व का भुगतान करने का उसका दायित्व समाप्त हो जाएगा:

भूमि भी समाप्त हो जाएगी;

(ख) किरायेदार राज्य सरकार को उस किराए का भुगतान करेगा जो वह उस तारीख से पहले भूमि मालिकों को देने के लिए उत्तरदायी था।

अधिसूचना; और (ग) धारा 84 के खंड (ख) से (च) में उल्लिखित परिणाम उत्परिवर्तित होंगे।

39. उन्मूलन अधिनियम की धारा 16 भुगतान से संबंधित है

भूमि मालिकों को उनके अधिकारों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा। धारा 16 यहाँ नीचे निकाली गई है:

“ 16. वह भूमि स्वामी जिसका भूमि पर अधिकार, स्वामित्व और ब्याज राज्य सरकार द्वारा धारा 15 के तहत अधिग्रहित किया गया है,

मुआवजे का हकदार है जिसकी गणना धारा 12 और 13 के प्रावधानों के अनुसार यथासंभव की जाएगी। अटलज जल विद्युत एन. आई. जी. ए. एम. वी.

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

40. मुआवजे पर ब्याज की धारा 18 के तहत देय है उन्मूलन अधिनियम। धारा 19 मुआवजे के दावों से संबंधित है।

रु. 125 प्रति वर्ष। हालाँकि, धारा 27 (2) के तहत एकमात्र बचत अनुग्रह प्रदान किया जाता है, जिस हद तक भूमि भूमि मालिक की व्यक्तिगत खेती के अधीन है। बिचौलियों के अधिकार अपने आप मिल जाते हैं धारा 27 (1) के तहत राज्य सरकार में निहित, भूमि मालिक धारा 27 (3) के तहत मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है

उन्मूलन अधिनियम की धारा 17 और 18 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित। धारा 27 यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 27. (1) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक भूमि मालिक जिसके पास भूमि है, जिसका वार्षिक भूमि राजस्व प्रति वर्ष Rs.125 से अधिक है,

ऐसी भूमि में ऐसे मालिक का अधिकार, स्वामित्व और हित सभी बाधाओं से मुक्त राज्य सरकार को हस्तांतरित और निहित किया गया माना जाएगा। (2) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी ऐसी भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा जो राज्य की व्यक्तिगत खेती के अधीन है।

जमींदार।

(3) भूमि स्वामी जिसके अधिकार राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (1) के तहत अर्जित किए गए हैं, वह मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा जो क्षतिपूर्ति [2018] 12 एस. सी. आर. द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

इस अधिनियम की धारा 17 और 18 को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 2 के प्रावधानों के अनुसार अधिकारी, लेकिन ऐसे अधिभोग किरायेदार के मामले में जो भूमि राजस्व या भूमि राजस्व के गुणक के संदर्भ में किराया देने के लिए उत्तरदायी है, उसके भूमि मालिक को देय मुआवजे की गणना निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी:

अनुसूची I.

(4) उप-धारा (1) या (2) के तहत अधिग्रहित भूमि-स्वामी का अधिकार, स्वामित्व और हित राज्य द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा।

ऐसी भूमि पर खेती करने वाले ऐसे किरायेदार को अनुसूची I के अनुसार मुआवजे के भुगतान पर सरकार।

(5) राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे छोटे भूमि मालिकों को पुनर्वास अनुदान देगी, जिनके अधिकार, स्वामित्व और ब्याज समाप्त हो गए हैं और जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है।

धारा 27 से यह स्पष्ट है कि इसमें गैर-अवरोधक खंड है और यह धारा 2 (5) में परिभाषित भूमि पर लागू होता है जो नहीं है

किसी नगर या गाँव में किसी भवन के स्थल के रूप में कब्जा किया गया है और कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि के अधीन उद्देश्यों के लिए, या चरागाह के लिए कब्जा किया गया है या पट्टे पर दिया गया है। परिभाषा समावेशी और व्यापक है और यह

इसमें ऐसी भूमि, बागों और घाटों पर इमारतों और अन्य संरचनाओं के स्थल भी शामिल हैं। इस प्रकार, भूमि समावेशी होने की परिभाषा बहुत व्यापक है और यदि जमींदार के स्वामित्व का भूमि राजस्व रु। 125 प्रति वर्ष व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि को छोड़कर, पूरी भूमि स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगी और इस तरह का निहित होना स्वतः होता है।

42. धारा 27 के पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि को छोड़कर संपदाओं के उन्मूलन पर

जमींदार, राज्य में निहित। निहित करना स्वचालित है और यह मुआवजे के भुगतान पर निर्भर नहीं करेगा और यह इस अदालत द्वारा स्वर्गीय राजिंदर सिंह द्वारा दायर मामले में पहले से ही 17.9.1969 के आदेश के माध्यम से माना जा चुका है। यह स्पष्ट है कि भूमि का अधिनिर्णय किरायेदारी के अधिकार के तहत आयोजित भूमि तक ही सीमित नहीं है। धारा 27 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भूमि स्वामी" है जिसके पास भूमि है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि धारा 27 केवल किरायेदार द्वारा किरायेदारी में रखी गई भूमि पर लागू होती है। यह भूमि मालिक द्वारा धारित उन्मूलन अधिनियम में

परिभाषित सभी प्रकार की भूमि पर लागू होता है और उन्मूलन अधिनियम में भूमि की परिभाषा समावेशी है और इसमें किसी शहर या गांव में सभी प्रकार की भूमि शामिल होगी जो नहीं है।

भवन के किसी भी स्थान पर कब्जा। इस प्रकार, सभी भूमि जिन पर कब्जा नहीं है, सतलुज जल विद्युत निगम v.

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

किसी नगर या भवन में स्थित किसी भवन द्वारा राज्य में निहित होगी और ऐसी भूमि जो कृषि उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी गई हो।

कृषि के अधीन या भवन के स्थलों सहित चरागाह के लिए

43. एच. पी. उन्मूलन अधिनियम द्वारा बड़ी संपदाओं को समाप्त करने की मांग की गई थी। जब उन्मूलन अधिनियम की धारा 27 और की परिभाषा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में परिभाषित भूमि को 'स्वामित्व' और 'संपदा' और 'भूमि स्वामी' के साथ पढ़ा जाता है।

राजिंदर सिंह ने निश्चित रूप से प्रति वर्ष Rs.125 के राजस्व को पार कर लिया जैसा कि दस्तावेजों और मामले में पारित विभिन्न आदेशों से स्पष्ट है। उन्मूलन अधिनियम का उद्देश्य बड़ी भू-संपदाओं को समाप्त करना और किरायेदारी से संबंधित कानून में भूमि सुधार लाना और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करना है। स्वर्गीय राजिंदर सिंह की भूमि स्वामित्व एक बड़ी संपत्ति थी और निश्चित रूप से अधिनियम के दायरे में आती थी और विशेष रूप से धारा 27 के तहत और उनकी व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि को छोड़कर राज्य में निहित सभी भूमि। 44. इस प्रकार, हमारा मानना है कि व्यक्तिगत खेती के तहत जो क्षेत्र राजिंदर सिंह के पक्ष में बचा लिया गया था, वह था

64 बीघा 12 बिस्वास केवल निर्दिष्ट के रूप में। यह 1011 बीघा 6 बिस्वास मापने वाले खाता नंबर 1 किटा दिनांकित आदेश से स्पष्ट है जो गांव झाकरी में हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वामित्व में निहित है। 19.9.1964 पर समीक्षा में, केवल आंशिक संशोधन किया गया था

क्षेत्र 14 बीघा 12 बिस्वास के संबंध में। जाखड़ी में भूमि का भूमि राजस्व, जैसा कि उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के समय 1955-56 की जमाबंदी से स्पष्ट है, रु। 155.58 यह Rs.125 से अधिक थी क्योंकि जो भूमि बंजर कादिम थी या अन्यथा व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, वह राज्य में निहित थी। 45. उन्मूलन अधिनियम के तहत मुआवजा धारा 27 (1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया था और इसके द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया गया था

क्षतिपूर्ति अधिकारी, महासू जिला, कासुमपटी दिनांकित 12.4.1966 आदेश के माध्यम से। राजिंदर सिंह को Rs.28,019 की राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि

मुआवजे का भुगतान भूमि के हस्तांतरण के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं थी, यह स्वचालित था, राजिंदर सिंह को क्षतिपूर्ति अधिकारी के आदेश में उल्लिखित भूमि के लिए भी मुआवजा दिया गया था। भले ही किसी भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया हो, क्योंकि वह व्यक्तिगत [2018] 12 एस. सी. आर. के तहत नहीं था।

46. बाद में राजिंदर सिंह द्वारा यह दावा करने का प्रयास कि भूमि भूमि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, पूरी तरह से तुच्छ, अस्वीकार्य था और इसे सी. एस. No.15/1970 में सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। राजिंदर सिंह। इस न्यायालय ने उन्मूलन अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्यवाही में दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से आदेश दिया कि केवल व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि को बचाया गया था न कि किसी अन्य भूमि को। कानून के प्रश्न पर रिमांड आदेश में दर्ज निष्कर्ष बाध्यकारी है अन्यथा कानून की स्थिति भी वही है जो इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में रखी गई थी। इसके बाद न्यायालय ने मामले को इस प्रश्न की जांच के लिए भेज दिया कि कौन सी भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत थी जिसे केवल निहित करने से बचाया जा सकता था। आदेश की कठोरता से बचने के लिए रिट याचिका को स्वर्गीय राजिंदर सिंह द्वारा दीवानी मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था और मुकदमा सं.

दाखिल किया गया। यह रुख अपनाया गया कि उक्त भूमि बंजर, अबादी, घरत, कोहलू और गैर-मुम्किन थी। यह रुख कि भूमि घासनी थी जो बंजर भूमि है और बंजर भूमि ही इस बात का संकेत देती है कि भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी और इस प्रकार वादी राजिंदर सिंह द्वारा दीवानी मुकदमे में स्थापित मामले के अनुसार यह स्पष्ट था कि उन्होंने इस रुख को छोड़ दिया है कि भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत थी और उन्होंने यह रुख अपनाया कि भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत थी।

उपरोक्त स्थिति। उक्त स्थिति ने स्वयं स्पष्ट किया कि भूमि उन्मूलन के समय व्यक्तिगत खेती के अधीन नहीं थी और राज्य में निहित थी और हमें दीवानी मुकदमे के दौरान वादी द्वारा स्थापित मामले के आधार पर उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है।

47. बंजर भूमि या बंजर कादिम फिर भी वह भूमि है जिसे उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (5) में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि घासनी भूमि को भी भूमि की परिभाषा में शामिल किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि घास उगाना कृषि उद्देश्य के लिए है। हालाँकि, चरागाह या घास के मैदान को व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं कहा जा सकता है और ऐसी भूमि भी राज्य में निहित होगी। प्रयुक्त अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है खेती अर्थात अपने श्रम से खेती करना। कृषि व्यक्तिगत खेती की तुलना में एक व्यापक शब्द है और इसमें डेयरी-खेती, चराई के रूप में भूमि का उपयोग, घास के मैदान या चरागाह भूमि या बगीचे या अन्य भूमि या बाजार उद्यान या नर्सरी मैदान जैसे कई पहलू शामिल होंगे।

प्राकृतिक फल केवल प्रकृति का परिणाम है लेकिन ऐसी भूमि को व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उन्मूलन अधिनियम में परिकल्पना की गई है।

सतलुज जल विद्युत निगम बनाम. एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

48. जादब सिंह और ओआरएस में। वी. हिमाचल प्रदेश

प्रशासन और अन्य। ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1008 में, इस न्यायालय ने संपदाओं के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार किया, जिसे अमान्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, जिसका विधिवत गठन नहीं किया गया था। संसद द्वारा एक मान्यकारी अधिनियम पारित किया गया था। इस न्यायालय ने उन्मूलन अधिनियम की विधायी क्षमता और संवैधानिक वैधता पर विचार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 240 को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा अपने संशोधन से पहले था, संसद मान्यकारी अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम थी। उन्मूलन के प्रावधान अधिनियम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 31 का उल्लंघन नहीं किया और उन्मूलन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 31 ए के संरक्षण में आता है।

संविधान और यह इस आधार पर चुनौती देने के लिए तैयार नहीं था कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 31 का उल्लंघन करता है। उन्मूलन अधिनियम का उद्देश्य यह है कि बड़ी भू-संपदाओं को समाप्त करके किए गए कृषि सुधारों को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। एक बार जब भूमि राज्य में निहित हो जाती है, तो राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियों को जारी रखने के आधार पर राजिंदर सिंह के लिए अधिकतम सीमा अधिनियम के साथ-साथ एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज से कम मुआवजे का दावा करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार, पूरी भूमि को इस शर्त पर संतुष्ट किया जा रहा है कि वह भूमि मालिक की भूमि जोत से संतुष्ट हो, जिसका वार्षिक भूमि राजस्व Rs.125 या उससे अधिक है, भूमि

राज्य में निहित है और व्यक्तिगत रूप से खेती की गई भूमि की बचत के साथ, उस भूमि के ऊपर और उससे अधिक भाग नहीं जिसमें उक्त भूमि राजस्व निर्धारित किया गया है।

2. अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कार्यवाही के प्रभाव से:

49. हम इस प्रश्न का विज्ञापन करते हैं क्योंकि इसकी प्रासंगिकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है, दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए कि भूमि में निहित था उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य।

50. अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में लागू हुआ जिसमें कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा का प्रावधान किया गया था। अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 11 यहाँ नीचे दी गई है:

किसी व्यक्ति का अधिशेष क्षेत्र, जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से उसका कब्जा लिया जाता है, यह माना जाएगा कि राज्य सरकार ने इसके बाद प्रदान की गई राशि के भुगतान पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया था और सभी [2018] 12 एस. सी. आर. में कुछ समय के लिए किसी भी कानून, प्रथा या उपयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार, शीर्षक और हित (आकस्मिक हित, यदि कोई हो)।

ऐसे क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के बल को बुझा दिया जाएगा और

ऐसे अधिकार, अधिकार और हित राज्य सरकार में निहित होंगे।

किसी भी बोझ से मुक्त:

बशर्ते कि जहां अनुमेय क्षेत्र के भीतर कोई भूमि गिरवी रखने वाले को कब्जे के साथ गिरवी रखा जाता है और यह गिरवी रखने वाले के अधिशेष क्षेत्र के भीतर आता है, केवल गिरवी रखने वाले के अधिकार माने जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है और वही उसमें निहित हो जाएँगे। "

51. धारा 4 अनुमेय छत क्षेत्र और धारा 6 अनुमेय क्षेत्र से अधिक छत क्षेत्र से संबंधित है। धारा 4 और 6 के प्रावधानों को नीचे निकाला गया है:

" 4. अनुमेय क्षेत्र

(1) किसी भूस्वामी या किरायेदार या कब्जे वाले गिरवीदार का अनुज्ञेय क्षेत्र या आंशिक रूप से एक क्षमता में या आंशिक रूप से दूसरी क्षमता में

व्यक्ति या परिवार जिसमें पति, पत्नी और अधिकतम तीन लोग शामिल हों।

नाबालिग बच्चों के संबंध में होगा

(क) दो फसलें उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि

एक साल में-10 एकड़। (ख) एक फसल उगाने में सक्षम सुनिश्चित सिंचाई के तहत भूमि

एक साल में-15 एकड़। (ग) खंड (क) और (ख) में वर्णित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों की भूमि।

ऊपर बागों के तहत भूमि सहित-30 एकड़।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए चंबा जिले के किन्नौर और लाहौल और स्पीति, तहसील पांगी और उप-तहसील भरमौर, छोटा के क्षेत्र के लिए अनुमेय क्षेत्र।

रामपुर तहसील की रोहरू तहसील और पंडराबीस परगना का सर्कल शिमला जिले का क्षेत्रफल 70 एकड़ होगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत परिवार का अनुमेय क्षेत्र

अनुमेय क्षेत्र का एक-पाँचवाँ हिस्सा बढ़ाया जाए।

परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त नाबालिग सदस्य के लिए धारा (1) और (2) इस शर्त के अधीन कि कुल अनुमेय क्षेत्र उप-धारा (1) और (2) के तहत परिवार के अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगा।

अटलज जल विद्युत एन. आई. जी. ए. एम. वी. एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

(4) किसी व्यक्ति के प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा और वह अनुमत सीमा तक भूमि का हकदार होगा -

उप-धारा (1) और (2) के तहत एक परिवार इस शर्त के अधीन कि परिवार और अलग-अलग इकाइयों की कुल भूमि उक्त उप-धाराओं के तहत अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि जहां अलग इकाई के पास कोई भूमि है, वहां इसके लिए अनुमेय क्षेत्र की गणना करने के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा। उस इकाई को।

(5) यदि किसी व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक श्रेणियों की भूमि है।

इस धारा की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए), (बी) और (सी) पर अनुमेय क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा -

निम्नलिखित आधार: -

((i) इस धारा की उप-धारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में, उप-धारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित एक एकड़ भूमि को उप-धारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित डेढ़ एकड़ भूमि और उप-धारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित सात एकड़ भूमि के रूप में गिना जाएगा।

(6) जहाँ कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य है, वहाँ गणना के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण की गई भूमि और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारण की गई भूमि को ध्यान में रखा जाएगा। अनुमेय क्षेत्र "।

" 6. जमीन पर छत

किसी भी कानून, प्रथा, उपयोग या समझौते में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति [2018] 12 एस. सी. आर. रखने का हकदार नहीं होगा।

चाहे एक जमींदार के रूप में या एक किरायेदार या एक बंधक के रूप में

भूमि पर अधिकार या आंशिक रूप से एक क्षमता में और आंशिक रूप से दूसरी क्षमता में

हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर अनुमेय से अधिक

नियत दिन पर या उसके बाद का क्षेत्र।

52. अधिकतम सीमा अधिनियम और आदेश के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी

कलेक्टर (सीलिंग) द्वारा 10.6.1980 पर 10,027 बीघा 5 बिस्वास भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि मालिक ने Rs.57,888.80 का मुआवजा लिया था जिसकी गणना की गई थी

अधिनियम की धारा 14 के तहत। वाउचर का विवरण इस प्रकार दिया गया है:

	क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की राशि	तिथि
" वी. नं.		
61		3.11.80
	18620-60	
62		
	10900-00	
		5.11.80
63		
	15000-00	
		29.1.81
64		
	3935-6520.3.81	
65		

9600-0031.3.81

53. अब, मुआवजे की राशि को वापस लेने का तथ्य

हमारे समक्ष यह तर्क देकर विवादित किया गया था कि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ था। यह समझ से परे है कि सक्षम प्राधिकारी और वाउचर नंबरों द्वारा पारित आदेश में दिए गए स्पष्ट बयान को ध्यान में रखते हुए बहस करना भी मुंह में कैसे निहित है जिस तारीख को भुगतान किया गया था। राजिंदर सिंह ने 30.6.1980 दिनांकित आदेश पर सवाल नहीं उठाया। इसके विपरीत, निपटान अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के संबंध में इस आधार पर निर्देश दिया गया था कि उनके नाबालिग बेटे को अवैध रूप से एक इकाई आवंटित की गई थी। वित्तीय आयुक्त ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ संशोधन No.224/1982 में मामला लिया है। निपटान अधिकारी ने बताया कि राजिंदर सिंह का बेटा राजेश्वर सिंह नाबालिग था और स्वतंत्र रूप से किसी भी भूमि का हकदार नहीं था, लेकिन कलेक्टर ने उसे एक इकाई आवंटित की थी।

(छत)। वह नियत दिन यानी 24.1.1971 पर नाबालिग था और राजिंदर सिंह और उसके परिवार में नाबालिग राजेश्वर सहित बच्चे शामिल थे। सिंह अनुमेय क्षेत्र की केवल एक इकाई के हकदार थे। वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 5.9.1985 के आदेश में राजिंदर सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया है।

कि उनके नाबालिग बेटे राजेश्वर सिंह को सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 10.6.1980 के आदेश के अनुसार एक इकाई आवंटित नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस तरह की एक इकाई परिवार को सतलुज जल विद्युत निगम v के तहत अनुमेय से अधिक भूमि आवंटित की गई है।

एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

5.9.1985 पर पारित आयुक्त से पूछताछ की गई। यह राजिंदर सिंह के पक्ष में आदेश नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थियों की ओर से तर्क दिया गया था, लेकिन उनके हित के खिलाफ था और अतिरिक्त भूमि को अधिशेष घोषित करने के निर्देश के रिमांड आदेश को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। रिमांड के बाद, कलेक्टर (सीलिंग) ने अतिरिक्त भूमि को अधिशेष घोषित किया है और कुल 19706 बीघा 5 बिस्वास को अधिशेष घोषित किया गया है। कलेक्टर (सीलिंग) द्वारा दिनांकित 10.11.1993 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, अपील को आयुक्त के बजाय प्राथमिकता दी गई थी जिसे 30.8.1996 पर खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ दायर संशोधन को भी वित्तीय आयुक्त द्वारा 18.1.2002 पर खारिज कर दिया गया था। 54. तथ्य निर्णायक रूप से स्थापित है कि विचाराधीन भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत मुआवजा दिया गया था।

यह भी प्राप्त किया गया था, भले ही भूमि पहले से ही उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित थी। एक बार जब विवादित भूमि को अधिकतम सीमा अधिनियम में अधिशेष घोषित कर दिया गया था, तो एल. ए. अधिनियम के तहत वर्ष 1987 में बाद में शुरू की गई कार्यवाही में राजिंदर सिंह या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं था। 1989 में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को यह निर्देश देना उचित था कि निर्धारित मुआवजे का भुगतान इसके कारण नहीं किया जाना चाहिए।

अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रभाव से और वह प्रश्न संदर्भ न्यायालय में भी उठाया गया था, यह संदर्भ न्यायालय का दायित्व था कि वह उपरोक्त पहलुओं पर गौर करे। यह तथ्य स्थिति नहीं थी कि अधिकार के सवाल पर विवाद हुआ था और संदर्भ कार्यवाही में निर्णय लिया गया था, लेकिन क्या राजिंदर सिंह या उनके एल. आर. वे कार्यवाही को देखते हुए मुआवजे का दावा करने के हकदार थे और उन्मूलन अधिनियम और अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत पारित आदेशों पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि एक बार भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया है और मुआवजा मिल गया है। यह भूमि अधिग्रहण मामले में इसे फिर से प्राप्त करने के लिए खुला नहीं था।

(iii) पुनः: अपील में सी. एस. No.15/1970 की वापसी का प्रभाव

55. सिविल सूट नं. 15/1970 को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद पहली अपील में, इसे राजिंदर सिंह द्वारा डिवीजन [2018] 12 एस. सी. आर. के समक्ष वापस ले लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.6.1986 पर बेंच लगाएँ। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.6.1986 का आदेश पहली अपील संख्या 9/1973 में 1970 के सी. एस. <आई. डी. 1 को वापस लेने का विवरण नीचे दिया गया है:

" वर्तमान अपील में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह बयान दिया है कि हिमाचल राज्य के मामले में कलेक्टर रामपुर बुशहर द्वारा पारित एक आदेश द्वारा 10.06.1980

हिमाचल प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, विवादित भूमि का प्रत्यर्थी द्वारा अधिग्रहण किया गया है और अपीलार्थी को इसके लिए मुआवजा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि इस दृष्टिकोण से इस बाद की घटना के लिए उसे मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है और अपील को निष्फल होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

यह विवादित नहीं है कि इस अपील में विवादित भूमि कलेक्टर रामपुर बुशहर द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश में भी विवाद का विषय है। चूंकि विवादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और अपीलार्थी को उसी के लिए मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए हमारा विचार है कि बाद की घटनाओं के कारण वादी को अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं -

विषय वस्तु के लिए और कार्रवाई के उसी कारण पर एक नया मुकदमा स्थापित करें। नतीजतन, हम वादी को इस तरह के बाद के मुकदमे को दायर करने की कोई आवश्यकता होने की स्थिति में कार्रवाई के उसी कारण पर मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में एक नया मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति देते हैं। मुक़दमा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है और वर्तमान अपील को निष्फल होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। पक्षकारों को इस अपील का अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

स्वर्गीय राजिंदर सिंह के वकील ने आर. एफ. ए. संख्या 9/1973 में उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि राजिंदर सिंह को मुआवजा प्राप्त हुआ था और कलेक्टर, रामपुर द्वारा अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया था। विवादित भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई थी, इसलिए मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी और यह प्रार्थना की गई थी कि अपील को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया जाए। हमारी राय में, वास्तव में यह एक गलत बयान नहीं था, लेकिन उच्च न्यायालय में यह सही ढंग से कहा गया था कि भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और मुआवजा प्राप्त किया गया था, इस तथ्य का समर्थन दिनांक 1 के आदेश में उल्लिखित वाउचर द्वारा किया गया था, और यह उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए इसके विपरीत पूरी तरह से तुच्छ तर्क था कि मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं में सतलुज जल विद्युत बनाम सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है।

एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

और धोखाधड़ी करने के लिए झूठे दावे और बयान देकर कई चरणों में अदालत को धोखा देने की कोशिश की है।

56. संक्षेप में, इस न्यायालय द्वारा उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही में मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करने के बाद इस न्यायालय ने

राजिंदर सिंह के मामले में दिनांक 1 के आदेश के अनुसार स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि को बचाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने 1962 के रिट आवेदन को इस आधार पर वापस ले लिया कि रिट आवेदन में तथ्य का विवादित सवाल उठाया गया था। यह उपरोक्त आदेश में राजिंदर सिंह के हित के खिलाफ किए गए इस न्यायालय के अवलोकन और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय से बचने के लिए था कि चूंकि भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत नहीं थी, इसलिए रिट याचिका वापस ले ली गई थी और उसके बाद सी. एस. नं. 15/1970 में दायर की गई थी जिसमें राजिंदर सिंह ने व्यक्तिगत खेती के तहत भूमि होने के मामले को छोड़ दिया था। इसके विपरीत, उन्होंने यह दलील दी कि यह "भूमि" बिल्कुल भी नहीं थी और इस तरह यह उन्मूलन अधिनियम के चंगुल में नहीं थी।

57. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया और यह निष्कर्ष दर्ज किया कि भूमि व्यक्तिगत नहीं थी

खेती और यह राज्य में निहित था और यह उन्मूलन अधिनियम की धारा 2 (5) में परिभाषित "भूमि" थी। इसके बाद डिवीजन बेंच के समक्ष पेश की गई नियमित पहली अपील को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया और इस आधार पर कि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त किया गया था और भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया था, उपरोक्त आदेश दिनांक 1 द्वारा मुकदमा वापस ले लिया गया। यह स्पष्ट है कि एक बार भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया था और अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया गया था। यह वादी राजिंदर सिंह द्वारा दीवानी मुकदमा No.15/1970 को वापस लेने का कारण नहीं था कि भूमि पर उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई थी। राजिंदर सिंह या उनके एल. आर. के लिए यह बिल्कुल भी खुला नहीं था। असंगत रुख अपनाना और वर्तमान कार्यवाहियों में तर्क देना कि भूमि व्यक्तिगत खेती के अधीन थी। उन्हें न केवल आचरण द्वारा बल्कि याचिका को छोड़ने के माध्यम से ऐसा करने से रोका जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे सी. एस. सं. 15/1970 में नहीं लिया है। यह मुकदमा वापस लेने के लिए बनाया गया आधार नहीं था कि भूमि व्यक्तिगत खेती के तहत थी। प्रभाव यह है कि निहित करने के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, अन्यथा मुकदमे को वापस लेने से आदेश 23 नियम 2 सी. पी. सी. में प्रदान की गई सीमा के संचालन की जांच नहीं होती है। यह व्यर्थ है और प्रतिवादी को इस तरह का दावा करने की अनुमति देने में बहुत देर हो चुकी है।

58. वास्तव में, दीवानी मुक़दमे No.15/1970 को वापस लेना वादी [2018] 12 एस. सी. आर. की ओर से विद्वान वकील के बयान पर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजिंदर सिंह ने कहा कि विवादित भूमि को अधिकतम सीमा की कार्यवाही में अधिशेष घोषित किया गया था, मुआवजा प्राप्त किया गया था और इसके तहत

अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधान। नए सिरे से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति दी गई थी, जबकि ऐसा कोई औपचारिक दोष नहीं था। जो भी हो सकता है। एक बार मुकदमा इस आधार पर वापस ले लिया जाता है कि भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया गया था और मुआवजा प्राप्त कर लिया गया था, यह वादी के खिलाफ विरोध करने और मुकदमा दायर करने की अनुमति के बावजूद एल. ए. अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए अवरोध पैदा करेगा क्योंकि वास्तव में भी, विवादित भूमि को 1993 में अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया था। 1980 में अधिशेष के रूप में घोषित भूमि को अंतिम रूप दिया गया, साथ ही 5.9.1985 पर वित्तीय आयुक्त का आदेश भी प्राप्त हुआ। दोनों आदेशों ने भी अंतिमता प्राप्त की। इस प्रकार, 5.9.1985 दिनांकित रिमांड का आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुका है, और इसे बाद के किसी भी चरण में फिर से खोलना संभव नहीं होगा। इस प्रकार, 30.6.1980 और 5.9.1985 दिनांकित आदेशों ने राजिंदर सिंह को अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है और मुआवजा प्राप्त हो गया है, क्योंकि विचाराधीन भूमि को अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था। राजिंदर सिंह या उनके उत्तराधिकारियों के पास दावा करने के लिए कोई अधिकार, उपाधि या हित नहीं बचा था

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा। 59. भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही वर्ष 1987 में शुरू की गई थी, जबकि अधिकतम सीमा का आदेश पहले 1980 और 1985 में पारित किया गया था और बाद में 1993 में अधिशेष क्षेत्र को बढ़ाया गया था। स्वर्गीय राजिंदर सिंह या उनके उत्तराधिकारी वर्ष 1987 में एल. ए. अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में मुआवजे का दावा नहीं कर सकते थे। हमारे विचार में

प्रत्यर्थी राजिंदर सिंह और उनका परिवार उक्त भूमि के लिए एल. ए. अधिनियम के तहत किसी भी मौद्रिक मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं था। एल. ए. अधिनियम के तहत निकाली गई राशि पूरी तरह से अस्वीकार्य थी।

और कानूनी प्रणाली में धोखाधड़ी करने के समान है। वास्तव में, उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्यवाही में भूमि के लिए मुआवजा लिया गया है। भले ही कुछ भूमि के संबंध में मुआवजा देय या भुगतान नहीं किया गया था, निहित करना उसी पर निर्भर नहीं करेगा। जागीरदारों की व्यक्तिगत खेती के अंतर्गत नहीं आने वाली भूमि राज्य में निहित थी, इसलिए यह अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत या एल. ए. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसी भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी खुली नहीं थी। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य और अवैध था और धोखेबाजों द्वारा किए गए घोटाले के समान था। सतलुज जल विद्युत निगम बनाम द्वारा कानूनी प्रणाली में धोखाधड़ी को कायम रखने के लिए एक के बाद एक मामले वापस लिए गए।

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

असंगत याचिकाओं को उठाना और राजस्व पत्रों में प्रविष्टियों को गलत तरीके से जारी रखने का अनुचित और अनुचित लाभ उठाना।

((iv) पुनः: एल. ए. अधिनियम की धारा 18 और 30 के तहत स्वामित्व का प्रश्न और धोखाधड़ी का प्रभावः

60. प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य के मौजूदा अधिकार को एल. ए. ए. अधिनियम की धारा 18 या 30 के तहत कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। भले ही संशोधन की अनुमति दी गई हो, यह उत्तरदाताओं को इस तरह की आपत्ति की असमर्थता को उठाने से नहीं रोकेगा। भले ही अतिरिक्त साक्षय के साथ संशोधन की अनुमति दी गई हो, यह इस याचिका को उठाने से नहीं रोकेगा कि राज्य ऐसी कार्यवाही में अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता है। शारदा देवी बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। बिहार राज्य, (2002) 3 एस. सी. सी. 705, मेहर रूसी दलाल बनाम। भारत संघ, (2004) 7 एस. सी. सी. 362, अहद ब्रदर्स बनाम। एम. पी. राज्य, (2005) 1 एस. सी. सी. 545, और यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम। ज्ञान देवी, (1995) 2 एस. सी. सी. 326, ने तर्क दिया कि केवल मुआवजे की मात्रा पर स्थानीय निकायों द्वारा सवाल उठाया जा सकता है, न कि मुआवजे के शीर्षक पर।

जमींदार।

61. तत्काल मामले में, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, एल. ए. ओ. ने दिनांकित 24.2.1989 में मुआवजे का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया है क्योंकि भूमि के पास है।

62. शारदा देवी बनाम। बिहार राज्य, (2003) 3 एस. सी. सी. 128, यह सवाल उठा कि क्या भूमि अधिग्रहण की धारा 30 के तहत संदर्भ दिया गया है। अधिनियम, 1894 बिहार राज्य के कहने पर बनाए रखने योग्य था क्योंकि यह राज्य में निहित भूमि और भूमि का मालिक था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3 (बी) के तहत परिभाषित इच्छुक व्यक्ति नहीं है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 26. अधिनियम की योजना से पता चलता है कि धारा 18 के तहत संदर्भ का उपाय केवल 'इच्छुक व्यक्ति' के लिए उपलब्ध है। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से या उसके माध्यम से उपस्थित होता है

प्रतिनिधि या जिसे धारा 12 (2) के तहत नोटिस दिया जाता है।

न्यायालय को निर्देश देने के लिए धारा 18 (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर कलेक्टर को आवेदन करने के लिए, स्थान के रूप में परीक्षण को निर्दिष्ट करने के अधीन है। शीर्षक का आधार जिस पर [2018] 12 एस. सी. आर.

धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की जाएगी जो स्पष्ट रूप से पुरस्कार की तारीख के संदर्भ में एक पूर्व-मौजूदा शीर्षक होगा। ऐसा भी है।

धारा 29, जो 'इच्छुक व्यक्ति' की बात करती है। अधिनियम की धारा 12 (1) द्वारा बताए गए पुरस्कार को अंतिम रूप एक ओर कलेक्टर और दूसरी ओर 'इच्छुक व्यक्ति' के बीच है और यह (i) वास्तविक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को जोड़ता है। भूमि का मापन, (ii) भूमि का मूल्य, अर्थात मुआवजे की मात्रा, और (iii) मुआवजे का विभाजन।

'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच। 'इच्छुक व्यक्ति' करेंगे

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे क्रमशः कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए हैं या नहीं, पुरस्कार से बाध्य होंगे। धारा 29 द्वारा बताए गए पुरस्कार की अंतिमता 'इच्छुक व्यक्तियों' के बीच है और यह विभाजन की शुद्धता के मुद्दे तक ही सीमित है। धारा 30 इसके संचालन में केवल 'इच्छुक व्यक्तियों' तक ही सीमित नहीं है। इसलिए, यह इच्छुक व्यक्तियों द्वारा लागू किए जाने के लिए उपलब्ध होगा यदि वे दोनों ही नहीं थे।

कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही में उपस्थित होना और न ही प्रतिनिधित्व करना, और न ही

अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत नोटिस दिया गया था या जब वे पुरस्कार के बाद अस्तित्व में आने वाले शीर्षक के आधार पर दावा करते हैं। 'इच्छुक व्यक्ति' की परिभाषा 'मुआवजे में ब्याज' की बात करती है। पुरस्कार के बाद अस्तित्व में आने वाला ब्याज मुआवजे के दावे को जन्म देता है जो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। ऐसा व्यक्ति धारा 30 का भी सहारा ले सकता है। किसी भी मामले में, वह विवाद जिसके लिए धारा 30 लागू की जा सकती है। केवल (i) मुआवजे की राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में, या (ii) उन व्यक्तियों के बारे में जिनके लिए मुआवजे की राशि (पहले से ही निर्धारित) या कोई अन्य

इसका एक हिस्सा देय है। पूर्व-विद्यमान अधिकार के आधार पर दावा करने वाला राज्य 'इच्छुक व्यक्ति' नहीं होगा, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है और अपने अधिकार के कारण।

पूर्व-विद्यमान होने के कारण, राज्य, ऐसे मामले में, धारा 18 या धारा 30 को लागू करने का हकदार नहीं होगा।

इसके कथित पूर्व-विद्यमान अधिकार का निर्धारण। उपार्जित या हस्तांतरित पद-पुरस्कार का निर्धारण निम्नलिखित संदर्भ में किया जा सकता है:

धारा 30, सीमा के रूप में किसी भी बाधा के बिना, भोग दिखाने के लिए कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करती है। वैकल्पिक रूप से, इस तरह के अधिकार को कलेक्टर द्वारा किसी भी स्वतंत्र कानूनी कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ा जा सकता है। यह विचार एक शीर्षक पद के रूप में न्यायसंगत, ध्वनि और

तार्किक है-पुरस्कार को सतलुज जल विद्युत एन. आई. जी. ए. वी. की तारीख तक प्रचार नहीं किया जा सकता था।

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

पुरस्कार और इनकार करके भी उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए धारा 30 तक पहुँच। इस कोण से देखा जाए तो धारा 18 और 30

ओवरलैप नहीं होगा और स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए क्षेत्र होंगे

एक-दूसरे से "।

(जोर दिया गया)

63. तत्काल मामले में सवाल यह है कि क्या एक पदधारी

बार-बार घोर धोखाधड़ी करने की अनुमति दी जा सकती है और अदालत को विभिन्न चरणों में विभिन्न कानूनी कार्यवाही के लेबल की आड़ में अलग-अलग असमर्थनीय रुख अपनाकर मूक दर्शक बनना पड़ता है।

मुआवजे का दावा कई बार किया जा सकता है जैसा कि तत्काल मामले और उसके प्रभाव में किया गया है। 1987 में भूमि अधिग्रहण शुरू होने से पहले, 1000 बीघा से अधिक भूमि को सीलिंग मामले में अधिशेष घोषित किया गया था और मुआवजा एकत्र किया गया था, जो वास्तव में झकारी में विवादित भूमि थी, यदि ऐसे व्यक्ति को उसी भूमि के लिए मुआवजे का दावा करने की अनुमति दी जाती है तो यह एक स्थायी धोखाधड़ी होगी। धोखाधड़ी पवित्रता को दूषित करती है कार्यवाही; ऐसी याचिका को संपार्श्विक कार्यवाही में भी स्थापित किया जा सकता है। याचिका पर लेबल ज्यादा सामग्री नहीं है और इस अदालत ने पहले ही धोखाधड़ी की याचिका को उठाने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, 72 पुरस्कारों में से उत्पन्न अपील अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है जिसमें संदर्भ न्यायालय ने उपरोक्त आधार पर मुआवजे को अस्वीकार कर दिया है।

64. में की गई टिप्पणियों पर भी रिलायंस को रखा गया है

जो दावा भारत संघ द्वारा किया गया था, मालिक की क्षमता में नहीं बल्कि एक संरक्षित किरायेदार के रूप में। किरायेदारी का दावा एल. ए. ओ. के समक्ष नहीं रखा गया था, हालांकि अधिग्रहण की कार्यवाही में इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले में यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा रहा था और यह न्यायालय के समक्ष किया जाना चाहिए था। एल. ए. ओ. यदि उसका पूर्व-विद्यमान अधिकार के संबंध में ऐसा कोई दावा था। एल. ए. ओ. जांच करने के कर्तव्य के अधीन नहीं था। विलंबित चरण में किरायेदारी का दावा भुगतान को विफल करने के लिए एक विचार था। निर्णय का तत्काल मामले पर कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि एल. ए. ओ. ने पारित पुरस्कारों में अधिकतम सीमा की कार्यवाही के तथ्य पर ध्यान दिया है क्योंकि इसके प्रभावों पर हमेशा विचार किया जा सकता है।

65. अहद ब्रदर्स वी। एम. पी. राज्य, (2005) 1 एस. सी. सी. 545, यह

न्यायालय ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर राज्य के स्वामित्व के प्रश्न पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने विचार किया कि जब कोई पुरस्कार पारित किया गया है और [2018] 12 एस. सी. आर.

अपीलार्थी को राजस्व दस्तावेजों में मालिक के रूप में दर्ज किया गया था, वह मुआवजा प्राप्त करने का हकदार था। उपरोक्त प्रस्ताव में कोई विवाद नहीं है, हालांकि, तत्काल मामले में तथ्य अलग हैं और किसी व्यक्ति को उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और जब भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था और गलत प्रविष्टि पर भुगतान किया गया मुआवजा जारी रहा। उसी गलत प्रविष्टि का उपयोग एल. ए. अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को मुआवजे के पुरस्कार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। तत्काल मामले में, पहले की कार्यवाही हुई थी जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजिंदर सिंह एल. ए. अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं था। यह स्पष्ट है कि कोई नहीं था

राजिंदर सिंह या उनके एल. आर. के पास अधिकार, उपाधि या ब्याज बचा हुआ है। , इस प्रकार, उन्हें मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकी।

66. धोखाधड़ी प्रत्येक गंभीर कार्यवाही को दूषित करती है और तकनीकी आधार पर धोखेबाज द्वारा किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। की ओर से

अपीलार्थियों, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित धोखाधड़ी की परिभाषा पर निर्भरता रखी गई है, जो इस प्रकार है:

अपनी सच्चाई में विश्वास किए बिना लापरवाही से की गई गलत प्रस्तुति किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। (3) किसी अन्य व्यक्ति को उसके साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने के लिए जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने, भौतिक तथ्यों को छिपाने या लापरवाही से गलत तरीके से प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाला अत्याचार।

हानि पहुँचाता है। (4) असहनीय सौदा; विशेष रूप से। , अनुबंध कानून में, पक्षों के सापेक्ष पदों से उत्पन्न होने वाली शक्ति का अवैज्ञानिक उपयोग और जिसके परिणामस्वरूप एक अनुचित सौदेबाजी होती है।

हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून ने धोखाधड़ी को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

" जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत बयान देता है जिसे वह वास्तव में और ईमानदारी से सच नहीं मानता है, तो नागरिक दायित्व के उद्देश्य से, बयान उतना ही कपटपूर्ण होता है जैसे कि उसने वह कहा था जिसे वह सच जानता था, या जानता था या गलत माना जाता था। वास्तविक और ईमानदार विश्वास की अनुपस्थिति का प्रमाण वह सब है जो संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है

कानून की आवश्यकता, चाहे प्रतिनिधित्व लापरवाही से या जानबूझकर किया गया हो, प्रतिनिधित्व की सच्चाई या झूठ के रूप में प्रतिनिधि की ओर से उदासीनता या लापरवाही

इस तरह के विश्वास की अनुपस्थिति का केवल एक उदाहरण है। अटलज जल विद्युत एन. आई. जी. ए. एम. वी.

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस प्रकार परिभाषित किया गया है: " धोखाधड़ी का गठन क्या है, इसकी परिभाषा देना आसान नहीं है क्योंकि इस शब्द का व्यापक महत्व है जिसमें सिविल द्वारा समझा जाता है।

न्याय की अदालतें। अदालतें हमेशा बाधा डालने से बचती रही हैं।

स्वयं को एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में परिभाषित या निर्धारित करके जिसे धोखाधड़ी माना जाएगा। धोखाधड़ी की विविधता अनंत है। अदालतों ने हमेशा इसे परिभाषित करने से इनकार किया है। इससे निपटने की स्वतंत्रता चाहे वह किसी भी रूप में हो

स्वयं। धोखाधड़ी. के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें संपत्ति, सभी कार्य, चूक और छिपाने शामिल हैं जिनमें कानूनी या न्यायसंगत का उल्लंघन शामिल है।

कर्तव्य, विश्वास या विश्वास, न्यायसंगत रूप से शांत किया जाता है, और दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं, या जिसके द्वारा अनुचित या अवैज्ञानिक लाभ उठाया जाता है एक और। किसी को भी धोखा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी आश्चर्य, चाल, चालाक, अलग-अलग और अन्य अनुचित तरीके को धोखाधड़ी माना जाता है। सभी मामलों में धोखाधड़ी का तात्पर्य किसी की ओर से जानबूझकर किया गया कार्य है, जिसके तहत

दूसरे को अवैध या असमान साधनों से वंचित करने की कोशिश की जाती है,

जिसका वह हकदार भी है।

67. राम चंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी, (2003) 8 एस. सी. सी. 319 में यह देखा गया कि धोखाधड़ी हर गंभीर कार्य को दूषित करती है। धोखाधड़ी और ई कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं और इसे न्यायपालिका सहित किसी भी न्यायसंगत सिद्धांत को लागू करके कायम या बचाया नहीं जा सकता है। यह

टी निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 15. अदालत में धोखाधड़ी करना और भौतिक तथ्यों को दबाना इन मामलों में शामिल मुख्य मुद्दे हैं। धोखाधड़ी, जैसा कि सर्वविदित है, हर गंभीर कार्य को दूषित करती है। धोखाधड़ी और न्याय कभी नहीं

एक साथ रहें।

16. धोखाधड़ी या तो पत्र या शब्दों द्वारा एक आचरण है, जो दूसरे व्यक्ति या प्राधिकरण को शब्द या पत्र द्वारा पूर्व के आचरण की प्रतिक्रिया के रूप में एक निश्चित निर्धारक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

17. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि गलत निरूपण अपने आप में धोखाधड़ी के बराबर है। वास्तव में, निर्दोष गलत निरूपण भी कारण दे सकता है

धोखाधड़ी के खिलाफ राहत का दावा करना।

18. एक कपटपूर्ण गलत निरूपण को छल कहा जाता है और इसमें एक व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से झूठ पर विश्वास करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करके नुकसान पहुंचाना शामिल है। यह कानून में धोखाधड़ी है यदि कोई पक्ष [2018] 12 एस. सी. आर.

प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह गलत जानता है, और चोट पहुँचाता है

वहाँ से उत्पन्न होता है हालांकि वह उद्देश्य जिससे

जारी किए गए अभ्यावेदन खराब नहीं हो सकते हैं।

***

***

***

23. अदालत में धोखाधड़ी के कार्य को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। एक सांठगांठ

या दूसरों के अधिकारों से वंचित करने की दृष्टि से साजिश

किसी संपत्ति के संबंध में लेन-देन शुरू से ही अमान्य हो जाएगा।

धोखाधड़ी और छल एक दूसरे के पर्याय हैं।

***

***

***

25. हालांकि किसी मामले में धोखाधड़ी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है,

धोखाधड़ी सभी न्यायसंगत सिद्धांतों और किसी भी मामले के लिए अभिशाप है

धोखाधड़ी के साथ आवेदन द्वारा स्थायी या बचाया नहीं जा सकता है

न्यायपालिका सहित कोई भी न्यायसंगत सिद्धांत।

(जोर दिया गया)

68. मधुकर सदभा शिवरकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

5) 6 एस. सी. सी. 557, इस न्यायालय ने कहा कि अभिलेखों को दर्ज करके धोखाधड़ी की गई थी और घोषणाकर्ता द्वारा गैरकानूनी रूप से प्राप्त आदेश कानून की नजर में अमान्य होंगे, हालांकि ऐसे आदेश प्राप्त हो चुके हैं। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" 27. उक्त आदेश केवल राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है

यह पता लगाने के लिए भूमि स्वामित्व अभिलेखों की जांच करें कि

धोखाधड़ी करके अपने अनुचित दावे को साबित करने के लिए गढ़ा गया तहसीलदार और अपीलीय अधिकारियों को आदेश प्राप्त करने के लिए

गैर-कानूनी रूप से उनके पक्ष में यह दिखाकर कि कोई अधिशेष भूमि नहीं है

कंपनी और उसके शेयरधारकों के साथ वैध उप-पट्टों के रूप में किया जाता है और उन्हें उनके द्वारा कार्यवाही में स्वीकार किया जाता है

कथित झूठी घोषणाओं के आधार पर अधिनियम की धारा 21

धारा 6 के तहत शेयरधारकों और उप-पट्टेदारों द्वारा दायर एक्ट करें। याचिका में राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया है और

वास्तविक शिकायतकर्ता-मालिक, जिनके कहने पर आदेश दिए जाते हैं

धोखाधड़ी के कथित आधार पर राज्य सरकार द्वारा पारित

तहसीलदार और अपीलीय अधिकारियों पर उद्घोषकों द्वारा खेला गया

उनके द्वारा प्राप्त अवैध आदेशों को बाहर लाने के लिए ए. टी. एल. यू. जे. एल. विद्युत एन. आई. जी. ए. एम. v. बनाकर अधिनियम के भूमि सीमा प्रावधानों के चंगुल।

एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

राजस्व अभिलेख, जो उनकी ओर से धोखाधड़ी का कार्य है

सब कुछ उजागर करता है और इसलिए, के तहत सीमा का सवाल

राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के प्रावधान

बिलकुल नहीं उठती। इस उद्देश्य के लिए, के उपायुक्त

पुणे डिवीजन को इस तरह के आयोजन के लिए पूछताछ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए

सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई करने पर विचार

बात है। श्री नाफडे द्वारा न्यायोचित ठहराने के लिए की गई कानूनी दलीलें इस स्तर पर आक्षेपित निर्णय और आदेश के बारे में, हम

संतुष्ट हैं कि प्राप्त करने के संबंध में धोखाधड़ी का आरोप पर उद्घोषकों द्वारा उल्लिखित गाँवों की भूमि जोत

मूल राजस्व अभिलेखों को नष्ट करने का कथित आधार और

384 उप-पट्टों को दिखाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड बनाना

अवैध रूप से, जैसा कि आरोप लगाया गया है, 3000 एकड़ से अधिक भूमि तक और आदेश में उद्घोषकों द्वारा गैरकानूनी रूप से प्राप्त किए जाते हैं

कानून की नजर में भूमि की अधिकतम सीमा शून्य होगी, हालांकि आदेशों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, यदि यह जांच में पाया जाता है

पूछताछ अधिकारी कि वे धोखाधड़ी से दागी हैं, वही हो सकता है

उचित आदेश। भूमि मालिक भी व्यथित पक्ष हैं द्वारा प्राप्त आदेशों को प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को उत्तेजित करें

घोषणाकर्ता जैसा कि वे शून्यता के कारण कानून में दूषित हैं मान्य समर्पण और वही अच्छी तरह से स्थापित है और इसलिए,

हम विवादित निर्णय को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करते हैं और

उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आदेश "।

(जोर दिया गया)

69. जय नारायण परसरामपुरिया बनाम। पुष्पा देवी सराफ, (2006)

सी. 756, इस न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी हर गंभीर कार्य को दूषित करती है। धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त आदेश या डिक्री एक शून्य है। यह न्यायालय

निम्नानुसार:

" 55. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि धोखाधड़ी ने सभी गंभीर कृत्यों को दूषित कर दिया। कोई भी।

धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त आदेश या डिक्री एक शून्य है। [देखें-(1)

रामचंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी और ओआरएस।, (2003) 8 एस. सी. सी. 319

(2) उपाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन,

और एन. आर. वी. गिरधारी लाल यादव, (2004) 6 एससीसी 325; (3) राज्य

ए. पी. और एन. आर. वी. टी. सूर्यचंद्र राव, (2005) 6 एससीसी 149; (4)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ईश्वर दत्त बनाम। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्र. , (2005) 7 एससीसी 190 ; (5) लिलीकुट्टी बनाम। जांच समिति, एससी और एसटी अन्य। , (2005) 8 एससीसी 283; (6) मुख्य अभियंता, M.S.E.B. और ए. एन. आर. वी. सुरेश रघुनाथ भोकरे, (2005) 10 एस. सी. सी. 465; (7) श्रीमती। सत्या वी. श्री. तेजा सिंह, (1975) 1 एस. सी. सी. 120; (8) महबूब साहब बनाम। सैयद इस्माइल, (1995) 3 एस. सी. सी. 693 और (9) अशरफी लाल बनाम। कोइली, (1995) 4 एससीसी 163.] "

(जोर दिया गया)

70. ए. पी. बनाम राज्य में टी. सूर्यचंद्र राव, (2005) 6 एससीसी 149, एस ने देखा कि जहां समर्पण के लिए भूमि की पेशकश की गई थीराज्य द्वारा अधिग्रहित किया गया था और वही उसमें निहित था। यह था कि केवल इसलिए कि एक जांच की गई थी, न्यायाधिकरण को त्रुटि को सुधारने की शक्ति से वंचित नहीं किया गया था जब प्रतिवादी ने धोखाधड़ी की थी। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" 7. उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से गलत है। वहाँ कोई नहीं है विवाद है कि जिस भूमि को समर्पण के लिए प्रस्तुत किया गया था प्रतिवादी पहले से ही राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका था और वही इसमें निहित था। यह स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का मामला था। सिर्फ इसलिए कि एक जांच की गई थी, न्यायाधिकरण को शक्ति से वंचित नहीं किया गया था त्रुटि को ठीक करें जब प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से एक गलती की थी धोखाधड़ी।

8. "धोखाधड़ी" का अर्थ है धोखा देने का इरादा; चाहे वह धोखाधड़ी से हो। स्वयं पार्टी या बीमार से लाभ की कोई अपेक्षा दूसरे की ओर इच्छा कोई मायने नहीं रखती है। अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" इसमें दो तत्व शामिल हैं, छल, और धोखा दिए गए व्यक्ति को चोट पहुँचाना।

चोट आर्थिक नुकसान, यानी अभाव के अलावा कुछ और है।

संपत्ति की, चाहे वह चल हो या अचल या धन की और यह

इसमें शामिल होगा और शरीर में किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी नुकसान होगा,

मन, प्रतिष्ठा या ऐसे अन्य। संक्षेप में, यह एक गैर-आर्थिक या गैर-आर्थिक नुकसान। धोखेबाज़ के लिए एक लाभ या लाभ, होगा

लगभग हमेशा धोखेबाज़ को हानि या हानि कहते हैं। इनमें भी

लेकिन धोखेबाज को कोई नुकसान नहीं, दूसरी शर्त है संतुष्ट। [डॉ. विमला वी. को देखें। दिल्ली प्रशासन, 1963 पूरक (2)

एस. सी. आर. 585 और इंडियन बैंक बनाम सत्यम फेबर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड,

(1996) 5 एस. सी. सी. 550] ए. टी. एल. यू. जे. एल. विद्युत निगम बनाम। एल. आर. एस. के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

10. " धोखाधड़ी "जैसा कि सर्वविदित है, हर गंभीर कार्य को दूषित करती है। धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं रहते। धोखाधड़ी या तो पत्र या शब्दों द्वारा किया जाने वाला एक आचरण है, जिसमें अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण शामिल है जो शब्दों या पत्र द्वारा पूर्व के आचरण के जवाब में एक निश्चित निर्धारक रुख अपनाता है। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि गलत निरूपण अपने आप में धोखाधड़ी के बराबर है। वाक़ई, निर्दोष गलत निरूपण धोखाधड़ी के खिलाफ राहत का दावा करने का कारण भी दे सकता है। एक कपटपूर्ण गलत निरूपण को छल कहा जाता है और इसमें एक व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से झूठ पर विश्वास करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करके नुकसान पहुंचाना शामिल है। यह कानून में धोखाधड़ी है यदि कोई पक्ष अभ्यावेदन करता है, जिसे वह गलत जानता है, और चोट वहाँ से आती है, हालांकि वह उद्देश्य जिससे

जारी किए गए अभ्यावेदन खराब नहीं हो सकते हैं। का एक कार्य

अदालत में धोखाधड़ी को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। किसी संपत्ति के संबंध में दूसरों के अधिकारों से वंचित करने की दृष्टि से मिलीभगत या साजिश शुरू से ही लेन-देन को अमान्य कर देगी। धोखाधड़ी और

धोखा देना पर्यायवाची है। यद्यपि किसी मामले में धोखाधड़ी धोखाधड़ी के बराबर नहीं हो सकती है, धोखाधड़ी सभी न्यायसंगत सिद्धांतों के लिए अभिशाप है और धोखाधड़ी से दूषित किसी भी मामले को न्यायपालिका सहित किसी भी न्यायसंगत सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा कायम या बचाया नहीं जा सकता है। (रामचंद्र सिंह बनाम देखें। सावित्री देवी और ओआरएस। , (2003) 8 एससीसी 319.)

***

***

***

13. मामले के इस पहलू पर हाल ही में इस न्यायालय द्वारा रोशन दीन बनाम में विचार किया गया है। प्रीति लाल, (2002) 1 एस. सी. सी. 100, राम प्रीति यादव बनाम। यू. पी. बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, (2003) 8 एस. सी. सी. 311, राम चंद्र सिंह बनाम। सावित्री देवी, (2003) 8 एस. सी. सी. 319 और अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम। टी. एन. और ए. एन. आर. राज्य , (2004) 3 एससीसी 1.

14. एक सामग्री दस्तावेज का दमन भी अदालत में धोखाधड़ी के बराबर होगा, (गौरीशंकर बनाम देखें। जोशी अम्बा शंकर [2018] 12 एस. सी. आर.

फैमिली ट्रस्ट, (1996) 3 एस. सी. सी. 310 और एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम। जगन्नाथ, (1994) 1 एस. सी. सी 1)।

15. " धोखाधड़ी "एक ऐसा आचरण है जो या तो अक्षर या शब्दों द्वारा किया जाता है, जो प्रेरित करता है

एक निश्चित निर्धारक रुख लेने के लिए अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण

पूर्व के आचरण की प्रतिक्रिया के रूप में या तो शब्दों द्वारा या

पत्र। यद्यपि लापरवाही धोखाधड़ी नहीं है, यह धोखाधड़ी का प्रमाण हो सकता है।

जैसा कि राम प्रीति यादव (2003) 8 एस. सी. सी. 311 में देखा गया है।

16. लाजरस एस्टेट लिमिटेड बनाम। बीज़ली (1956) 1 क्यू. बी. 702, लॉर्ड

पृष्ठ 712 और 713 पर डेनिंग ने देखा: (सभी ई. आर. पी. 345 सी)

" अदालत का कोई फैसला नहीं, मंत्री का कोई आदेश नहीं हो सकता।

खड़े होने की अनुमति है यदि यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है। धोखाधड़ी का खुलासा

सब कुछ "।

कानून द्वारा ज्ञात सभी लेन-देन चाहे कितने भी उच्च स्तर के हों गंभीरता "।

(जोर दिया गया)

71. ए. वी. पापय्या शास्त्री बनाम। सरकार. ए. पी., (2007) 4 एस. सी. सी. 221,

देखे गए निर्णय या आदेश पर धोखाधड़ी के प्रभाव के बारे में न्यायालय

19. अब, यह कानून का सर्वसम्मत सिद्धांत है कि यदि कोई निर्णय या आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो इसे निर्णय या आदेश नहीं कहा जा सकता है।

कानून में आदेश। तीन शताब्दियों से पहले, मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने घोषणा की;

धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, चर्च संबंधी या अस्थायी से बचाती है।

***

***

***

22. इस प्रकार यह कानून का तय प्रस्ताव है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अमान्य है और कानून की नजर में गैर-कानूनी है। प्रथम न्यायालय या अंतिम न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय, डिक्री या आदेश होना चाहिए - प्रत्येक न्यायालय द्वारा, उच्चतर या हीन, शून्य के रूप में माना जाता है। इसे किसी भी न्यायालय में, किसी भी समय, अपील, संशोधन, रिट या यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।

***

***

*** अटलज जल विद्युत एन. आई. जी. ए. एम. वी. एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

38. इस मामले को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। मान लीजिए कि पक्षकारों को सुनने के बाद एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक मामले का निर्णय लिया जाता है और आवेदक/वादी के पक्ष में एक आदेश पारित किया जाता है जिसे अंतिम न्यायालय सहित सभी न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा जाता है। आइए हम एक ऐसे मामले के बारे में भी सोचें जहां यह न्यायालय विशेष अनुमति याचिका को खारिज नहीं करता है, लेकिन अनुमति देने के बाद कारण दर्ज करके अंततः अपील का फैसला करता है। इस तरह के आदेश को वास्तव में एक कहा जा सकता है

निर्णय जिस पर संविधान का अनुच्छेद 141 लागू होता है। इसी तरह, विलय का सिद्धांत भी आकर्षित होता है। अतः निम्न न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा पारित सभी आदेश इस न्यायालय के निर्णय में विलय हो जाते हैं और इस तरह के निर्णय के बाद, किसी भी पक्ष के लिए यह खुला नहीं है कि -

आदेश की समीक्षा करने, वापस लेने या पुनर्विचार करने के लिए किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्णय। 39. हालाँकि, उपरोक्त सिद्धांत धोखाधड़ी के अपवाद के अधीन है। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि आदेश एक सफल पक्ष द्वारा धोखाधड़ी का अभ्यास करके या खेलकर प्राप्त किया गया था, तो इसे दूषित कर दिया जाता है। ऐसा आदेश नहीं हो सकता है।

कानूनी, वैध या कानून के अनुरूप माना जाए। यह अस्तित्वहीन और अस्तित्वहीन है और इसे खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कानून का मूल सिद्धांत है और इसे और विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह कहा गया है कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय, डिक्री या आदेश को अमान्य माना जाना चाहिए, चाहे वह पहली बार की अदालत द्वारा हो या अंतिम अदालत द्वारा। और इसे प्रत्येक न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी माना जाना चाहिए, चाहे वह उच्चतर हो या निम्नतर।

न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अभिलेख के सामने स्पष्ट होने, प्रक्रिया के दुरुपयोग और यदि -

बात की जड़ तक जाता है।

72. एस. पी. चेंगलवराय नायडू बनाम जगन्नाथ, (1994) 1 एस. सी. सी. अदालत ने नोट किया कि धोखाधड़ी का मुद्दा दोष को ठीक करने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले मामले की जड़ तक जाता है। न्यायालय ने कहा:

" 5. उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, पेटेंट त्रुटि में पड़ गया। उच्च न्यायालय के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह था कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जगन्नाथ ने प्रारंभिक आदेश प्राप्त किया था। अदालत में धोखाधड़ी करके डिक्री। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने गड़बड़ी की और ऐसी टिप्पणियां कीं जो पूरी तरह से विकृत हैं।

हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि "वादी पर एक सही मामले के साथ अदालत में आने और [2018] 12 एस. सी. आर. साबित करने का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है।

यह सही सबूत से "। "मुकदमे की अंतिमता" के सिद्धांत को इस हद तक दबाया नहीं जा सकता है कि यह बेईमान वादियों के हाथों धोखाधड़ी का इंजन बन जाए। कानून की अदालतें पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। अदालत में आने वाले को साफ हाथों के साथ आना चाहिए। हम यह कहने के लिए विवश हैं कि अक्सर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। संपत्ति हड़पने वाले, कर-चोरी करने वाले, बैंक-ऋण-चकमा देने वाले और जीवन के सभी क्षेत्रों के अन्य बेईमान व्यक्ति अदालत को ढूंढते हैं - अवैध लाभ को अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए एक सुविधाजनक लीवर की प्रक्रिया करें। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक व्यक्ति, जिसका मामला झूठ पर आधारित है, उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं है। वह हो सकता है।

मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में संक्षेप में खारिज कर दिया जाता है।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई संदेह नहीं है कि जगन्नाथ ने अदालत में धोखाधड़ी करके प्रारंभिक आदेश प्राप्त किया था। धोखाधड़ी जानबूझकर धोखे का एक कार्य है जिसमें दूसरे का अनुचित लाभ उठाकर कुछ हासिल करने की योजना बनाई जाती है। यह दूसरे के नुकसान से लाभ प्राप्त करने के लिए एक धोखा है। यह एक धोखाधड़ी है जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। जगन्नाथ चुनिलाल सौकर के साथ क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अदालत में संपत्ति खरीदी।

चुनिलाल सौकार की ओर से नीलामी। उन्होंने अपनी इच्छा से विवादित संपत्ति के संबंध में चुनिलाल सौकर के पक्ष में पंजीकृत रिहाई विलेख (प्रदर्शनी बी-1 एस) को निष्पादित किया था। उन्हें पता था कि अपीलकर्ताओं ने उनके गुरु चुनीलाल सौकर को कुल डिक्रिटल राशि का भुगतान कर दिया था। इन सभी तथ्यों का खुलासा किए बिना, उन्होंने इस आधार पर संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने चुनीलाल सौकर की ओर से नहीं, बल्कि अपनी ओर से संपत्ति खरीदी थी। पेश न करना और मुकदमे में रिहाई विलेख का उल्लेख न करना भी अदालत में धोखाधड़ी करने के समान है। हम उच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी आसानी से प्रदर्शनी बी-15 की प्रमाणित पंजीकृत प्रति प्रस्तुत कर सकते थे और वादी के लिए उपयुक्त नहीं थे। एक वादी, जो अदालत का दरवाजा खटखटाता है, अपने द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य है जो मुकदमे से संबंधित हैं। यदि वह दूसरी तरफ से लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को रोकता है तो वह अदालत के साथ-साथ विरोधी पक्ष पर धोखाधड़ी करने का दोषी होगा।

73. के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी, (1998) 3 एस. सी. सी. 573, यह देखा गया कि अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में उद्धृत उदाहरणों में से एक सतलुज जल विद्युत निगम बनाम है।

एलआरएस के माध्यम से राज कुमार राजेंद्र सिंह (मृत)। [अरुण मिश्रा, जे।]

पुनः मुकदमेबाजी। यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और एक पक्ष के लिए उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा करना न्याय और सार्वजनिक नीति के विपरीत है जो उसके खिलाफ पहले ही चलाया जा चुका है और निर्णय लिया जा चुका है। 74. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने उज्जागर सिंह बनाम में दिए गए निर्णय पर भरोसा रखा है। कलेक्टर, भटिंडा, (1996) 5 एस. सी. सी. 14, जिसमें इस न्यायालय ने पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के लागू होने और राज्य में अधिशेष क्षेत्र के निहित होने के प्रभाव की जांच की। इस मामले में, मकान मालिक के कब्जे वाले क्षेत्र को पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित किया गया था, लेकिन राज्य द्वारा कब्जा नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्षेत्र अंततः पेप्सू अधिनियम के तहत अधिशेष क्षेत्र के रूप में निहित नहीं था, नए अधिनियम के लागू होने के कारण, नए पंजाब अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा क्षेत्र को नए सिरे से निर्धारित किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, वर्ष 1980 में सीलिंग मामले में आदेश पारित किया गया था और कलेक्टर (सीलिंग) के निर्णय आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया था और न ही भूमि को अधिशेष घोषित करने के लिए रिमांड के आदेश पर सवाल उठाया गया था और फिर 1993 में अतिरिक्त भूमि को अधिशेष घोषित किया गया था। यह मामले को फिर से खोलने का मामला नहीं था। वास्तव में, भूमि उन्मूलन अधिनियम के तहत राज्य में निहित है। इसके बाद, मुआवजा प्राप्त किया गया है, जाहिर है एक बार जब भूमि है

राज्य में निहित ऐसी भूमि/खुली भूमि का कब्जा मालिक का माना जाता है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, तथ्यों में और तत्काल मामले की परिस्थितियों में मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता था।

75. राज्य में एच. पी. बनाम हरनामा, (2004) 13 एस. सी. सी. 534, इस न्यायालय ने कहा कि भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था और किरायेदार इसमें था।

भूमि पर कब्जा कर लिया था और जमींदार के खिलाफ भूमि को अधिशेष घोषित करने से पहले स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यह भी देखा गया कि विचाराधीन भूमि को अधिशेष के रूप में अधिसूचित किया गया था और यह तथ्य कि भूमि के मूल मालिक को मुआवजे का भुगतान किया गया था, राज्य के लिए कोई लाभ नहीं होगा यदि वास्तविक निहित गैर-निवासी किरायेदार की तारीख से पहले

भूमि के कब्जे में स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर लिए थे। यह पूरी तरह से अलग है और तत्काल मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है।

76. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील ने मदन किशोर बनाम में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है। मेजर सुधीर सेवाल, (2008 8 एस. सी. सी. 744), जिसमें धारा 27 (4) के तहत आवेदन करने के लिए उप किरायेदार की पात्रता के संबंध में प्रश्न उठा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 27 (4) की अभिव्यक्ति, ऐसी भूमि पर खेती करने वाला ऐसा किरायेदार, किसी उप-किरायेदार को स्वामित्व अधिकारों का दावा करने या [2018] 12 एस. सी. आर. के तहत इसके लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं देती है।

धारा 27 (4)। यह माना गया कि वह उप-किरायेदार नहीं था। यह निर्णय एल. आर. की ओर से समर्थन किए गए उद्देश्य के लिए कोई मददगार नहीं है। राजिंदर सिंह। धोखाधड़ी के सिद्धांत के स्पष्ट रूप से लागू होने के मामले में पेश किए गए अजीबोगरीब तथ्यों में इसे अनदेखा और अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

एल. ए. अधिनियम की धारा 18/30 के तहत कार्यवाही का दायरा।

प्रश्न संख्या 5 में प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता:

77. वर्ष 2014 में दायर प्रामाणिक हस्तांतरणियों के मामले में 2013 के फैसले और आदेश से उत्पन्न एस. जे. वी. एन. लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रतिवादी राजिंदर सिंह से प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता हैं। हालाँकि, अपीलार्थियों की ओर से यह बताया गया कि 72 संदर्भ मामलों में, नियमित पहली अपील अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। संदर्भ न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावेदार किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। मामले में

प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता होने का दावा करने वाले प्रत्यर्थियों के खिलाफ संदर्भ अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में नियमित पहली अपील लंबित है, जाहिर है, प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता के सवाल का फैसला अंतत: उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नियमित पहली अपील में किया जाना है। यदि अपील दायर नहीं की गई है या निर्णय लिया गया है, तो निर्णय का पालन करने के लिए मुआवजा। हम इस स्तर पर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हम इस प्रश्न को निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय पर छोड़ते हैं। हालांकि, यदि हस्तांतरणकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान किया गया है, तो भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि लंबित अपील का फैसला नहीं हो जाता। यदि हस्तांतरणकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और भूमि मालिकों के पक्ष में अपील का फैसला किया गया है, तो जाहिर है कि उन्हें भुगतान करना होगा और यह आदेश रास्ते में नहीं आएगा। 78. परिणामस्वरूप, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि स्वर्गीय राजिंदर सिंह या उनके एल. आर. द्वारा वापस लिया गया मुआवजा। भूमि अधिग्रहण के मामले में, मूल कार्यवाहियों में या धारा 28-ए के तहत आज से 3 महीने के भीतर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपीलार्थियों/राज्य को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दिया जाएगा और अनुपालन की सूचना इस न्यायालय को दी जाएगी। तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। हम पार्टियों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान